

भाजपा गठबंधन को शिकस्त दो!

श्रमिक वर्ग को सी आइ टी यू का आह्वान
और केन्द्र में भाजपा के
श्रमिक विरोधी शासन की
एक समीक्षा

सी आइ टी यू प्रकाशन

अगस्त 1999
2000 प्रतियां

प्रकाशक :

भारतीय ट्रेड यूनियन केन्द्र
15, तालकटोरा रोड,
नयी दिल्ली-110001

मुद्रक :

प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स
ए-21, झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया,
जी टी रोड, शाहदरा, दिल्ली-110095
फोन : 2282847

मूल्य :

दो रुपये

भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन को शिकस्त दो !

1. पुनः जनता की अदालत में

“राजधानी में जबरदस्त उठापटक के पश्चात् मामला एक बार पुनः जनता की अदालत में आ गया है। इस घटनाक्रम का आरम्भ तमिलनाडु से सम्बन्धित दो मंत्रियों द्वारा केन्द्रीय मंत्रिमण्डल से त्यागपत्र दे देने से हुआ। वाजपेयी सरकार को लोकसभा में पराजय का मुंह देखना पड़ा; वैकल्पिक सरकार के गठन के लिये भारी राजनीतिक गतिविधियां और अंततः बारहवीं लोकसभा को भंग कर दिया गया।”

सी आइ टी यू के मासिक मुख पत्र “सीटू मजदूर” के मई 1999 के अंक के सम्पादकीय में उन घटनाओं का वर्णन इस प्रकार किया गया था जिनके चलते वर्तमान मध्यावधि चुनाव होने जा रहा है। उसमें आगे कहा गया था :

“बारहवीं लोकसभा का अंक गणित कुछ इस प्रकार था कि उसके आधार पर पूरे पांच वर्ष कोई भी सरकार चल नहीं सकती थी। सदन की संरचना के मूल में ही अस्थिरता का बीज निहित था और अन्ततः इसका परिणाम मध्यावधि चुनाव के रूप में निकला।”

अब चुनाव आयोग ने मध्यावधि चुनाव का मार्ग प्रशस्त कर दिया है; उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राष्ट्र 5 सितम्बर से 3 अक्टूबर तक पांच चरणों में 13वीं लोकसभा के लिये मतदान करेगा।

श्रमिक वर्ग को वर्तमान स्थिति की गम्भीरता पर गहराई से विचार करना होगा, उसे तेरह मास के भाजपा शासन तथा निगरान सरकार के रूप में शासन के पांच और महीनों में घटित घटनाओं का स्मरण करना होगा और उनकी समीक्षा करनी होगी। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण राजनीतिक लड़ाई है; श्रमिक वर्ग को इसकी अग्रिम पंक्तियों में रहना होगा और नयी सहस्राब्दि में इस देश के भाग्य का निर्णय लेना होगा और उसे एक नया स्वरूप प्रदान करना होगा।

2. सी आइ टी यू ने पहले ही चेतावनी दी थी

यहां तक कि 1998 के चुनावों के समय सी आइ टी यू ने श्रमिक वर्ग के नाम जारी की गई अपनी अपील में भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन की प्रकृति का ठीक-ठीक वर्णन अधोलिखित शब्दों में किया था :

“भाजपा के नेतृत्व वाला गठबंधन सभी प्रकार की अवसरवादी तथा संदिग्ध कार्यवाइयां करके देश की सत्ता को हथियाना चाहता है। उसका हिन्दुत्व का नारा एवं कार्यक्रम जनता की विशाल श्रेणियों को प्रभावित नहीं कर पाया है। इसलिए वह अब अल्पसंख्यकों तथा निम्न जातियों के साथ सम्बन्धित मतदाताओं को भ्रामक अपीलें करने लगा है। उसके झूठे वादे उसकी अर्धफाशी तथा कठमुल्लावादी कार्यसूची को छिपा नहीं सकते क्योंकि यह कार्यसूची जनता को धार्मिक दृष्टि से विभाजित रखने और हिन्दुओं को अल्पसंख्यकों के विरुद्ध भड़काने की कार्यसूची है। इस पार्टी ने निर्लज्जतापूर्वक उदारीकरण का समर्थन किया है, उसने बहुराष्ट्रीयों, बड़े कारोबारियों तथा सामंतों का पक्ष लिया है। जब देश में उदारीकरण नीति शुरू की गई थी तब भाजपा ने दावा किया था कि कांग्रेस द्वारा उसकी नीति का अपहरण कर लिया गया था। अब चुनावों के समय बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के विरुद्ध रुख अपना कर और प्रत्येक दूसरे दिन आर्थिक नीति पर रपरस्पर विरोधी वक्तव्य देकर भाजपा मतदाताओं में भ्रांतियां उत्पन्न करने का प्रयास कर रही है।”

दुर्भाग्यवश, इस प्रकार की अवसरवादी, खतरनाक तथा प्रतिगामी शक्ति एकमात्र सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। उसने अठारह दलों का गठबंधन बना कर सत्ता पर अधिकार कर लिया। किन्तु भाजपा का शासनकाल उन संदेहों एवं आशंकाओं को ठीक सिद्ध करता है जिनकी भविष्योक्ति सी आइ टी यू ने की थी।

3. राष्ट्रीय हित दांव पर

भाजपा तथा उसके सहयोगी-पुराने तथा उसके साथ-साथ नये बने मित्र- अपने निरपराध एवं अबोध किन्तु घायल स्वरूप को जनता के समक्ष प्रस्तुत करके लोगों को भावुक बना देना चाहते हैं। वे वाजपेयी को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं मानों उन्होंने अपना विरोध करने वाले लोगों के विरुद्ध कोई गलत काम या पाप किया हो।

किन्तु तथ्य तो यह है कि 1998 के चुनावों का निर्णयादेश स्वयं में ही अधूरा था, वह निश्चित रूप से भाजपा के पक्ष में नहीं था जिसका दावा अब करने का प्रयास किया जा रहा है। भाजपा ने तेलगु देशम तथा नेशनल कान्फ्रेंस जैसे दलों के साथ समर्थन का अपहरण करके बहुमत जुटाया था जबकि पिछले चुनावों में इन्हीं दलों ने भाजपा के विरुद्ध संघर्ष किया था। बहु-सिरो वाला यह राक्षस भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन के रूप में कुख्यात हो चुका है, उसके घटक दलों को एकजुट रखने वाला केवल एक कारक है- सत्ता की लिप्सा तथा शक्तियों का दुरुपयोग करने के लिये सत्ता में बने रहने का लोभ। यह उस समय धराशाही हो गया जब गठबंधन का दूसरा सबसे बड़ा दल उससे बाहर निकल आया।

भाजपा ने लोकसभा में विश्वास का मन प्राप्त करने के लिये बहुत हाथ-पांव मारे, उसने प्रत्येक उचित और अनुचित कार्य किया। इसकी श्रेष्ठ उदाहरण चौटाला के इंडियन नेशनल लोकदल के चार सदस्यों को “खरीद” लेना है क्योंकि उन्होंने (चौटाला) पहले वाजपेयी सरकार के विरुद्ध मत देने की घोषणा की थी। भाजपा के लिये “नैतिकता” का अर्थ यही है। किन्तु यदि बी एस पी पहले तटस्थ रहने की घोषणा कर देती है और तत्पश्चात् उनके विरोध में अपने

मताधिकार का उपयोग करती है तो वह “अनैतिक” बन जाती है।

अब भाजपा प्रलाप कर रही है कि विरोध पक्ष ने षड्यंत्र करके उसकी सरकार को पलट दिया और राष्ट्र पर नये चुनावों का बोझ डाल दिया है।

जब भाजपा स्वयं अपने ही शिविर में व्याप्त विरोधाभासों के बोझ के नीचे दब जाए और उसकी सरकार धराशाही हो जाए तो क्या उस स्थिति में उसे प्रतिपक्ष से यह अपेक्षा करने का कोई राजनीतिक अथवा नैतिक अधिकार है कि वह उसे संकट की दलदल में से बाहर निकाल दे? क्या वे यह आशा रखते थे कि प्रतिपक्ष उसे बचाने के लिये आगे आए और पांच वर्षों के शेष समय के लिये उसे सत्ता में बने रहने में सहायता दे। इसके प्रत्युत्तर में क्या हम उनसे यह बात नहीं पूछ सकते कि जब वी पी सिंह अथवा देवे गौड़ा अथवा आइ के गुजरात ने लगभग इसी प्रकार की स्थितियों का सामना किया था और उन्हें सत्ता से निकाल बाहर कर दिया गया था— तो क्या उस समय भाजपा उनकी सहायता के लिये आने आई थी?

भाजपा के शासनकाल में केवल लोकसभा की पांच वर्षीय अवधि ही दांव पर नहीं लगी अपितु राष्ट्र के हित प्रत्येक दृष्टि से दांव पर लगे हैं— वाजपेयी सरकार के कुशासन के प्रत्येक क्षण में वह गम्भीर खतरे में पड़ते रहे हैं इसे हम कुशासन अथवा शासनहीनता भी कह सकते हैं।

वे लोग चले गए, यह अच्छा ही हुआ। यदि चुनावों चुनावों में यह सुनिश्चित हो जाता है कि वे पुनः सत्ता में नहीं लौटेंगे तो यह और भी अच्छा होगा।

4. स्वदेशी से नकली स्वदेशी तक

भाजपा गठबंधन द्वारा सुशासन की राष्ट्रीय कार्यसूची (एन ए जी) अपनाई गई। दांवपेच के रूप में भाजपा ने स्वयं अपनी कार्यसूची को ठण्डे बस्ते में डाल दिया ताकि जनता का विश्वास अर्जित किया जा सके। इसके साथ ही उसेन स्वदेशी के मंत्र का उच्चारण भी जारी रखा, उसने घोषणा की कि—

“हम सुधारों की प्रक्रिया को जारी रखेंगे, उसमें प्रमुख बल स्वदेशी पर देंगे ताकि राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था का विकास इस सिद्धान्त के अनुसार होना सुनिश्चित हो सके कि “भारत का निर्माण भारतीयों द्वारा किया जाएगा।”

राष्ट्रीय कार्यसूची में यह आश्वासन भी दिया गया कि “भूमण्डीकरण के प्रभावों की सावधानी से समीक्षा की जाएगी और उसकी प्रक्रिया में आवश्यक सुधार लाया जाएगा ताकि इससे कोई क्षति नहीं पहुंचे अपितु वह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, स्वदेशी औद्योगिक आधार और वित्तीय एवं सेवा क्षेत्रों को और अधिक सुदृढ़ बनाए।”

किन्तु देश में बड़े कारोबारियों और उनके साथ-साथ उन्नत पूंजीवादी देशों के वित्तीय क्षेत्रों ने “स्वदेशी” के इस शोर की परवाह नहीं की है और न ही उन्हें इसकी कोई चिन्ता है। उनके पास चिन्ता नहीं करने अपितु उल्लिसित होने के लिये कारण भी तो हैं।

वाजपेयी मंत्रिमंडल में वित्तमंत्री श्री यशवंत सिन्हा ने कार्यभार सम्भालने के तत्काल बाद

घोषणा कर दी थी कि “बहुराष्ट्रीयों को हमारी सरकार से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है।” यह संदेह प्रखर तथा स्पष्ट था “विदेशी पूंजी का स्वागत है, कम्प्यूटर चिप्स हो या पटैटो चिप्स इसमें कोई अन्तर नहीं पड़ता।”

वित्तमंत्री ने अपनी प्रथम विदेशी यात्रा वर्ष 1998 में की। जैसा कि अपेक्षा थी वह अपने पहले अन्तर्राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए अमरीका गए। उन्होंने वाशिंगटन में कहा, “हम सुधारों को व्यापक एवं गहरा बनाने तथा उनकी गति तेज करने के लिये प्रतिबद्ध हैं।” उन्होंने दावा किया कि उनका दल भाजपा समाजवाद के शांतिपूर्ण दिनों में भी उदारीकरण का प्रचार करने वाला सबसे पहला दल था।

उद्योग मंत्री सिकंदर बख्त ने अपनी ओर से पेटेंट के मुद्दे पर विश्व व्यापार संगठन के साथ प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। वह अपने अन्तःकरण की बात नहीं सुनते। यदि सुनते होते तो जान जाते कि पिछले चुनावों से पूर्व उसी भाजपा ने प्रतिपक्ष में रहते हुए नरसिम्हा राव सरकार के समय भारतीय पेटेंट अधिनियम पर संसद की कार्रवाई को ठप्प कर देने में वामपक्ष के साथ सहयोग किया था।

वाणिज्य मंत्री रामकृष्ण हेगड़े एकमात्र ऐसे मंत्री थे जिन्होंने व्यापक स्तर पर नयी आयात-निर्यात नीति शुरू करने की घोषणा की थी। इस नीति ने एक ही झटके में कार्रवाई करते हुए आयात के उदारीकरण की गति को तेज कर दिया था, वे प्रतिबंधित सूची में से 340 वस्तुओं को निकाल कर आयातों की खुली सामान्य लाइसेंस (ओ जी एल) श्रेणी के अन्तर्गत ले आए। उन्होंने सभी प्रकार की सामग्रियां इसमें सम्मिलित कर दीं— मछली उत्पादों से लेकर खिलौनों, प्रसाधन सामग्री, साबुन, बोतलों में बंद पेय जल तक क्या-क्या नहीं उसमें सम्मिलित किया गया। आयात उदारीकरण की मात्रा बढ़ाते चले जाने के फलस्वरूप अब 840 से अधिक वस्तुएं ओ जी एल सूची में सम्मिलित की जा चुकी हैं। इस प्रकार विदेशी उत्पादों के भारतीय बाजार पर आक्रमण के लिये मार्ग प्रशस्त कर दिया गया है।

5. प्रधानमंत्री का आर्थिक कार्यक्रम

प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भला अपने सहयोगियों से पीछे कैसे रहते। उन्होंने भारतीय उद्योग के परिसंघ (सी आइ आइ) के 1998 के वार्षिक सम्मेलन में भाषण करते समय आर्थिक सुधारों के मामले में निरंतरता उनकी सरकार का प्रमाण चिह्न होगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि “राजनीति के क्षेत्र में भले ही जो भी परिवर्तन हो किन्तु आर्थिक कार्यसूची पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने एक 13सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा भी कर डाली जिसके अनुसार—

* सरकार आर्थिक उत्पादन के क्षेत्र से हट जाएगी और विधायिका, सहायक एवं नियामक की भूमिका का व्यापार करेगी।

* व्यापार तथा उद्योग का संचालन करने वाले सभी कानूनों तथा नियमों की समीक्षा की जाएगी, उनमें आमूल परिवर्तन लाए जाएंगे और जहां आवश्यकता होगी, वहां उन्हें समाप्त कर

दिया जाएगा।

* प्रत्यक्ष विदेशी निवेशों का संचालन एक पारदर्शी तथा पक्षपात से रहित नीति के द्वारा किया जाएगा।

* प्रत्यक्ष विदेशी निवेशों से सम्बन्धित प्रस्तावों को 60 दिनों की अधिकतम समय सीमा के भीतर स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

* विदेशी मुद्रा नियमन अधिनियम (फेरा) को बदल दिया जाएगा।

* पेन्शन तथा बीमा राशियों का उपयोग आंतरिक संरचना के विकास कार्यों के लिये किया जाएगा।

* शहरी भूमि सीमा कानूनों को निरस्त किया जाएगा।

* सार्वजनिक क्षेत्र के घाटों में कमी लाने, पूंजीविनिवेश तथा कल्पनाशील पुनर्गठन हेतु तत्काल कदम उठाए जायेंगे।

* सभी विद्युत बोर्डों का पुनर्गठन किया जाएगा।

संघ परिवार में नये-नये दीक्षित हुए विद्युत मंत्री रंगराजन कुमारमंगल ने अति उत्साह का प्रदर्शन करते हुए एक अध्यादेश जारी करके केन्द्र तथा राज्यों में विद्युत नियामक प्राधिकरण की स्थापना कर डाली।

विद्युत राज्य मंत्री पी के कुमार अपनी संक्षिप्त कार्यावधि में ही घोषणा कर डाली कि बीमा नियामक प्राधिकरण की स्थापना करने के लिये कानून बनाया जाएगा।

इन घोषणाओं पर अत्यंत निष्ठापूर्वक परवर्ती महीनों में कार्रवाइयां की गईं।

भाजपा गठबंधन के लिये स्वदेशी मात्र एक नारा था। यह नारा देश की भोली भाली जनता को धोखे में रखने के लिये लगाया गया था। ज्यों ही केन्द्र सरकार में सत्तारूढ़ होने के जादुई क्षण आए त्यों ही स्वदेशी तत्काल नकली स्वदेशी के रूप में परिवर्तित हो गई। वे लोग (भाजपा) स्वयं को उदारीकरण, निजीकरण तथा भूमण्डलीकरण वास्तविक पुरोधा दर्शाने के लिये दिन रात एक करने लगे और यह प्रमाणित करने के लिये भरसक प्रयत्न करने लगे कि बहुराष्ट्रीय निगमों और विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अपने स्वामियों के प्रति उनकी निष्ठा संदेह से परे है।

6. श्रमिकों की पूर्ण उपेक्षा

दूसरी ओर सुशासन की राष्ट्रीय कार्यसूची श्रमिकों की पूर्ण उपेक्षा कर रही है; बस केवल एक शुभेच्छा व्यक्त की गई है कि “हम श्रमिक को राष्ट्र की सम्पदा के निर्माण एवं प्रगति में समान तथा गरिमापूर्ण सहभागी बनाएंगे।”

श्रमजीवी जनता के प्रति लापरवाही इस तथ्य से भी प्रकट होती है कि प्रधानमंत्री वाजपेयी जिन्होंने बड़े कारोबारी घरानों के प्रतिनिधियों के साथ अनेक बैठकें की हैं किन्तु उन्होंने एक बार भी केन्द्रीय श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करने की आवश्यकता अनुभव नहीं की। उकने पूर्वाधिकारी आर के गुजराल ने पिछले चुनावों से पूर्व त्रिपक्षीय भारतीय सम्मेलन को

सम्बोधित करके कम से कम एक बार तो श्रमिकों के लिये अपनी चिन्ता व्यक्त की थी, भले ही यह नाम के लिये ही था। किन्तु 35वां भारतीय श्रम सम्मेलन अप्रैल 1999 में वर्तमान सरकार विश्वास मत में पराजित हो जाने के कुछ ही समय पूर्व, सम्पन्न हुआ था, इस पर भी वाजपेयी ने उस मंच पर उपस्थित होने की भी कोई आवश्यकता नहीं समझी। यह केवल संयोग नहीं है, यह सब जानबूझ कर किया गया है। पांचों केन्द्रीय श्रमिक संगठनों एटक, बी एम एस, सी आई टी यू, एच एम एस तथा इंटक की ओर से प्रधान मंत्री से भेंट के लिये समय मांगा गया; वे कोयला उद्योग से जुड़े विषयों पर विचार करना चाहते थे; प्रधानमंत्री कार्यालय ने उस पत्र की पुष्टि भी नहीं की। एक और अवसर पर जब आई डी पी एल के श्रमिक एक जनसभा में भाग लेने के उद्देश्य से नयी दिल्ली में एकत्रित हुए थे, प्रधानमंत्री वाजपेयी ने इन्हीं विषयों पर विचार करने के लिये केन्द्रीय श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों को पहले से दिया गया निमंत्रण रद्द कर दिया गया था।

दूसरी ओर “समान तथा गरिमापूर्ण सहभागी” बनाने की अपेक्षा श्रमिक वर्ग के साथ सबसे बुरा व्यवहार किया गया है। कामबंदियों, छंटनियों तथा वी आर एस के माध्यम से वे हजारों की संख्या में अपने-अपने रोजगार को खो चुके हैं। उनके सभी मूलभूत अधिकार हमलों की चपेट में हैं। ये हमले वर्तमान श्रम कानूनों को पूर्णतया बदल देने की कार्रवाई तथा सेवा योजकों के साथ मिलकर उन्हें मंद गति से लागू किये जाने के रूप में हो रहे हैं। श्रमिकों के संघर्षों को भाजपा सरकार द्वारा बर्बरता के साथ कुचला जा रहा है।

भाजपा सरकार ने द्वितीय श्रम आयोग की नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्णय लेने के समय भी श्रमिक संगठनों के साथ विचार करने की आवश्यकता नहीं समझी।

ये सभी उद्धरण एन ए जी के उस आश्वासन के पाखण्ड को उजागर कर देते हैं जिसमें “श्रमिक को समान तथा गरिमापूर्ण सहभागी बनाने” की बात कही गई है।

7. अर्थव्यवस्था, पटरी पर या पटरी से नीचे उतरी

वाजपेयी सरकार का पतन होने के शीघ्र पश्चात् एक भाजपा समर्थक संगठन लोक अभियान ने प्रतिष्ठा खो रहे प्रधानमंत्री को “भारत के एक सच्चे नेता” के रूप में प्रस्तुत करने के उद्देश्य से प्रचार माध्यमों में विज्ञापनों के द्वारा तूफानी हमला कर दिया है। पूरे पृष्ठ के विज्ञापनों में वाजपेयी के चित्र के नीचे लिखा जाता है, “इस व्यक्ति से कौन-सी भूल हुई है?”

“पोखरण में परमाणु परीक्षण करके देश की प्रतिष्ठा बढ़ाई।”

“लाहौर बस यात्रा के द्वारा मित्रता का हाथ बढ़ा कर”।

“अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाकर”।

ये तथा कुछ अन्य दावे इस व्यक्ति के प्रचार के लिये किये गए। उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है जो “कोई गलत काम नहीं करता।”

इन दावों में “बम” तथा “बस” के दावे की हवा कारगिल में निकल चुकी है। इस पर भी एक “आपरेशन विजय” की सफलता का एक और विश्वासघाती दावा करके इन पर पर्दा

डालने का प्रयास किया जा रहा है।

किन्तु “अर्थ व्यवस्था को पटरी पर लाने” के दावे का क्या हुआ?

वाजपेयी ने स्वयं भारतीय उद्योग परिसंघ (सी आई आई) के 1999 के वार्षिक सम्मेलन में भाषण करते समय यही राग अलापा था। उन्होंने उल्लास में आकर कहा था कि वह अपनी सरकार के बजट से “अच्छा अनुभव” करते हैं और उन्होंने कुछ उपलब्धियां भी गिनाई थीं जो पूंजी बाजार की चढ़त को प्रतिबिम्बित करती हैं, किन्तु में हाल ही के राजनीतिक घटनाक्रम ने बर्बरतापूर्वक उन्हें रोक दिया है।

किन्तु भाजपा तथा उसके प्रधानमंत्री की त्रासदी यह है कि अर्थव्यवस्था के परवर्ती रुझान केवल उनकी शोचनीय अज्ञानता को उजागर करने वाले हैं।

सी आई आई जिसके मंच पर वाजपेयी ने अपनी सरकार के सुशासन के कारनामों की शेखी बघारी थी, ने स्वयं भारतीय उद्योग का एक सर्वेक्षण कराया था। उसके सर्वेक्षण की रिपोर्ट 3 मई, 1999 को जारी की गई। उसने कहा है कि—

“पिछले सारे वित्तीय वर्ष में मंदे ने भारतीय उद्योग को अपने शिकंजे में कस कर रखा....”

नकारात्मक वृद्धि दर ने कुछ मूलभूत उत्पादों जैसे इस्पात, सीसा, लीड अलोए, देगी लोहा तथा कोल्ड रोल्ड स्टील इत्यादि पर दुष्प्रभाव डाला।

इस श्रेणी में सभी प्रकार के आटोमोबाईल्स तथा टेक्सटाइल मशीनरी (उत्पादन में गिरावट आ रही है और यह गिरावट 35 प्रतिशत तक आई है), विभिन्न प्रकार के ट्रांसफार्मर, सूगर मशीनरी उपकरण तथा बोगियां इत्यादि अधिकांश पूंजीगत सामग्रियां भी जाती हैं।

“बिक्री में इस वृद्धि का विश्लेषण करते हुए सर्वेक्षण में पाया गया कि इसका ढांचा न्यूनाधिक एक समान है।

“टेक्सटाइल मशीनरी की बिक्री उसके कम उत्पादन से मेल खाती है। अन्य उत्पादों जिनकी स्थिति भी खराब रही, में मशीन टूल्स, बोगियां, रीफ्रेक्टरीज, लीड, कोल्ड रोल्ड स्टील, सभी वाहन तथा यहां तक कि सिगरेट तथा तम्बाकू इत्यादि सम्मिलित हैं।

अप्रैल-दिसम्बर 1998 की पूरी अवधि में हुए निर्यातों का विश्लेषण किया गया। पिछले वर्ष भी इसी अवधि की तुलना में उसकी स्थिति समान रूप से धूमिल रही।”

उसके एक सप्ताह बाद औद्योगिक विकास की अत्यंत धूमिल रिपोर्ट मिली।

“इस समय उपलब्ध पूरे वित्तीय वर्ष के आंकड़ों को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि उद्योग 1998-99 में चार प्रतिशत की दर से भी विकास करने में असफल रहा है। औद्योगिक उत्पादन (आई पी) के त्वरित अनुमानों जिन्हें केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (सी एस ओ) द्वारा जारी किया गया, के अनुसार औद्योगिक उत्पादन का सामान्य सूचकांक वर्ष 1998-99 में केवल 3.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज कराता है जबकि उससे पिछले वर्ष की वृद्धि दर 6.6 प्रतिशत थी।

“पूरे वर्ष के आंकड़े यह भी दर्शाते हैं कि खनन क्षेत्र ने 1997-98 में 5.9 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि के विपरीत 1.7 प्रतिशत की गिरावट दर्ज कराई। मैनुफेक्चरिंग क्षेत्र ने 4.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज कराई थी और वह भी अपने से पिछले वर्ष में दर्ज कराई गई वृद्धि दर 6.7

प्रतिशत से नीचे थी।”

(द हिन्दू 12 मार्च, 1999)

ये तथ्य भाजपा सरकार के आगे मंडरा रहे हैं जिसे नवम पंच वर्षीय योजना का दस्तावेज जारी किये अभी बहुत समय नहीं हुआ। उसने योजना अवधि के शेष वर्षों में 7 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त करने की बातें बढ़-चढ़ कर की हैं।

8. भारत बिकाऊ है !

साप्ताहिक “पीपुल्स डेमोक्रेसी” में उसके सम्पादक सीताराम येचुरी ने अपने एक लेख में वित्तमंत्री यशवंत सिन्हा पर यह टिपपणी की है :

“अपने पहले कार्यकाल (1991 में चन्द्रशेखर मंत्रिमंडल के समय) में वर्तमान वित्तमंत्री ने भारत के सोने के भंडार को गिरवी रख दिया था; अब अपने दूसरे कार्यकाल में वह स्वयं भारत वर्ष को ही गिरवी रख देने के लिये तैयार हो रहे हैं।”

भाजपा सरकार ने सत्ता पर आसीन होने के पहले दिन से ही बहुराष्ट्रीय निगमों को मनाना शुरू कर दिया था। पोखरण विस्फोटों के कारण अमरीका तथा अन्य देशों द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों से भयभीत होकर इस प्रक्रिया में दोगुणा तेजी लाई गई।

आर्थिक प्रतिबंधों को बहाना बना कर वाजपेयी सरकार ने तेजी के साथ अर्थ व्यवस्था के किवाड़ खोलने की प्रक्रिया और तेज कर दी है ताकि बहुराष्ट्रीय उसकी लूट मचा सकें। परीक्षण के दूसरे दिन प्रधान मंत्री के कार्यालय ने ऊर्जा, दूर संचार, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस, कोयला, भूतल परिवहन मंत्रालयों को निदेश दिया कि वे तेजी के साथ सभी परियोजनाओं की अपनी स्वीकृति प्रदान करें और उनके सम्बन्ध में की गई अनेक उचित आपत्तियों की अनदेखी कर दें। ऊर्जा क्षेत्र में नाभिकीय परीक्षणों के 24 घण्टों के भीतर तीन परियोजनाओं के लिये काउंटर गारंटी दी गई (जैसा कि इससे पूर्व एनरो के मामले में किया गया था)।

खनन मंत्रालय ने 34 बहुत बड़े प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान कर दी जिनमें पश्चिम के बहुराष्ट्रीय निगम भी सम्मिलित थे। एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम के रूप में उसने एक बहुराष्ट्रीय निगम फिलिप्स डौज द्वारा ताम्बे के उत्खनन हेतु दिये गए आवेदन को स्वीकार कर लिया। यह उत्खनन कार्य 2472 वर्ग किलो मीटर के विशाल क्षेत्र में फैला है। यह स्मरण करना होगा कि निजी कोयला खदानों के लिये इनमें से अनेक स्वीकृतियों को इसलिए रोका गया क्योंकि रक्षा मंत्रालय ने प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों के समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित खदानों में बहुराष्ट्रीय निगमों की भागीदारी को लेकर आपत्ति की थी। उसकी आपत्ति ठीक थी। भाजपा सरकार देश की सुरक्षा के मामले में कितनी चिन्तित है और वह इस सम्बन्ध में कितनी भारी भरकम बातें करती है, उपरोक्त उद्धरण से इसकी पोल खुल जाती है।

पेट्रोलियम क्षेत्र में सरकार ने 18 खोजी-समूहों में उत्पादन की भागीदारी सम्बन्धी अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया है। इन समूहों में ग्यारह अमरीकी कम्पनियां हैं। स्मरण रहे

कि अतीत में इन परियोजनाओं के सम्बन्ध में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किये जाने पर अनेक आपत्तियां की गई थीं। इस पर भी सरकार ने इन 18 परियोजनाओं को अपनी स्वीकृति दे दी है। उसे भारत के समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों की कितनी चिन्ता है, इसकी पोल एक बार पुनः उपरोक्त उद्धरण से खुल जाती है जबकि देश के प्राकृतिक संसाधनों को बहुराष्ट्रीयों के हाथों मिट्टी के मोल बेचा जा रहा है।

भाजपा सरकार ने संयुक्त उद्यमों के प्रस्तावों को अपनी स्वीकृति दे दी है जिनके अन्तर्गत बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को भारतीय बंदरगाहों में 89 प्रतिशत तक एक्विटी रखने की अनुमति दी गई है। इसके फलवस्वरूप सरकार की एक्विटी मात्र 11 प्रतिशत तक सीमित रह गई है; इसके चलते वह अब इस स्थिति में नहीं रहेगी कि किसी विशेष प्रस्ताव को रोक सके क्योंकि उसके लिये कम से कम एक्विटी के 26 प्रतिशत शेयर होने आवश्यक हैं। यदि भारत की कोई बंदरगाह साम्राज्यवादियों के परमाणु बेड़े की मुरम्मत का काम करना चाहती है और भारतीय बंदरगाहों का उपयोग साम्राज्यवादी युद्धक कार्रवाईयों के लिये करने की अनुमति दे जाती है जैसा कि खाड़ी युद्ध के समय हुआ था, तो सरकार कुछ नहीं कर सकती, दूसरे शब्दों में वह अब असहाय बनी बैठी तमाशा देखती रहेगी।

भाजपा सरकार ने भारत को बिक्री के लिये प्रस्तुत कर दिया है।

9. फास्ट ट्रेक उदारीकरण

अर्थव्यवस्था में मंदे के रुझानों तथा लोगों के कष्टों की ओर ध्यान दिये बिना भाजपा सरकार आर्थिक सुधारों की अपनी कार्यसूची को लागू करने की धुन में मस्त है।

“इकानामिक रिफार्म्स कंटीन्यू” शीर्षक 1998-99 के आर्थिक सर्वेक्षण जिसे 1999 के वार्षिक बजट से पूर्व प्रस्तुत किया गया था, के अन्तर्गत उदारीकरण सम्बन्धी कदमों की सूची दी गई थी, अर्थव्यवस्था के लगभग सभी पक्षों को उसमें लिया गया था। यहां उसकी संक्षिप्त सूची दी जाती है:

उद्योग

* कोयला, लिग्नाइट, पेट्रोलियम (कच्चे तेल के अतिरिक्त) तथा उनसे बने उत्पादों एवं बल्क ड्रग्स के लिये लायसेंस की समाप्ति।

* चीनी के लिये लायसेंस की समाप्ति।

* कोयला तथा लिग्नाइट तथा खनिज तेलों को अप्रतिबंधित करना।

* पेटेंट विधेयक राज्य सभा में पारित कराया गया और उसके पश्चात् एक अध्यादेश के माध्यम से उसे लागू किया गया (क्योंकि उसे कानून बनाना तथा उसके लिये राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी है)।

* अनेक वस्तुओं को जिनमें कृषि धंधों में काम आने वाले औजार भी सम्मिलित हैं, को उत्पादों की उस सूची में से बाहर निकाल दिया गया है जो विशेष रूप से लघु उद्योगों के क्षेत्र में

तैयार होते हैं।

(इस सबका उद्देश्य स्वदेशी उद्योग को बर्बाद करना तथा लघु उद्योगों के क्षेत्र का गला घोट देना है)।

आंतरिक संरचना

* भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 तथा विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1948 में संशोधन किया गया ताकि ऊर्जा संप्रेषण में निजी निवेश हो सके।

* विद्युत नियामक आयोग सम्बन्धी विधेयक पारित हो जाने के पश्चात् केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग की स्थापना की गई। राज्यों की सहायता के लिये उसमें एक प्रावधान जोड़ा गया जिसके अंतर्गत उन्हें अपने स्वतंत्र नियामक आयोगों का गठन करने का अधिकार दिया गया है।

(इसका उद्देश्य राज्य सरकारों की उस क्षमता को कम करना है जिसके चलते वे अलाभकारी श्रेणियों को सब्सिडी पर बिजली की आपूर्ति करती थीं, राज्य विद्युत बोर्डों का निजीकरण करना और ऊर्जा क्षेत्र की एनरो जैसी लूट के लिए मार्ग प्रशस्त करना है।)

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

* विद्युत उत्पादन, संप्रेषण तथा वितरण, और सड़कों, राजमार्गों यातायात सम्बन्धी सुरंगों तथा प्रलों तथा बंदरगाह इत्यादि परियोजनाओं में 100 प्रतिशत तक विदेशी एक्विटी की भागीदारी की अनुमति दी गई है।

* गैर बैंकिंग वित्तीय सेवाओं जिनमें क्रेडिट कार्ड बिजनस" तथा "मनी चेंजिंग बिजनस" भी सम्मिलित हैं, के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अनुमत्य होगा।

वित्तीय क्षेत्र

* सुदृढ़ स्वतंत्र बीमा नियामक प्राधिकरण और बीमा एवं पेंशन कोष का मुंह निजी क्षेत्र की कम्पनियों के लिए खोल देने सम्बन्धी विधेयक संसद में प्रस्तुत किये गए। उनके अन्तर्गत 26 प्रतिशत विदेशी एक्विटी तथा अतिरिक्त 14 प्रतिशत अप्रवासी भारतीयों तथा विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए रखने की अनुमति दी जाएगी।

(इसका तात्पर्य विदेशी पूंजी के द्वारा सट्टाबाजारी लूट के लिये वित्तीय क्षेत्र के किवाड़ पूर्णतया खोल देना है)।

* विदेशी मुद्रा प्रबंधन के लिये एक नया विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया जो फेरा का स्थान लेगा।

(इसके साथ ही जुड़ा है - मनी लोडरिंग बिल जो विदेशी मुद्रा में गैर कानूनी लेन देन को कानूनी बनाता है और हवाला जैसे अपराधों को ढांप देता है)।

काराधान

* एक नयी योजना शुरू की गई जिनका नाम "कर विवाद समाधान स्कीम" रखा गया

है। इसका उद्देश्य प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के करों के विवादों में फंसे धन को प्राप्त करना है।

(इसका अर्थ है राष्ट्रीय राजकोष के मूल्य पर कर चोरों के साथ शांति से रहना।)

सर्वेक्षण के पूरे दो पृष्ठ इस सूची से भरे हुए हैं।

आर्थिक सर्वेक्षण में गर्वोक्ति की गई है कि ये तथा ऐसे अनेक अन्य सुधार “आर्थिक उदारीकरण तथा विदेशी पूंजी को छूटें देने सम्बन्धी सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता” के दृष्टिगत किये गए हैं।

इन सभी कार्रवाईयों के समय संसद में प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस (आइ) कभी कभार नमनशील सहभागी और कभी उसके पीछे की प्रमुख संचालक शक्ति बनी रही। सत्ताधारी भाजपा तथा प्रतिपक्षी दल कांग्रेस (आइ) केवल एक दूसरे के साथ यही प्रतिस्पर्धा कर रही हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष/विश्व बैंक की सेवा करने के मामले में आगे कौन निकल जाएगा।

10. निजीकरण का उन्माद

भाजपा के शासन काल में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों को सघन हमलों का निशाना बनाया गया। पिछली सरकारों द्वारा इस दिशा में कुछ सावधानी से कदम उठाए गए थे और वे जनता को धोखा देने के लिये यह स्वांग भरती थीं कि श्रमिक आंदोलन के दबाव के कारण थोक में निजीकरण किया जा रहा है। किन्तु भाजपा सरकार ने से सभी संकोच त्याग दिये हैं, वह अब पूंजी विनिवेश अथवा ऐसे ही दूसरे मामले में बात करते समय सावधानी से काम नहीं लेती किन्तु उसने घोषित कर दिया है कि वह पूर्ण निजीकरण के लिये काम करेगी।

उद्योग मंत्री सिकंदर बख्त का मंत्र है, “कारोबार में बने रहना सरकार का काम नहीं” उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के आठ केंद्रीय उपक्रमों अर्थात् खनन तथा सहायक मशीनरी निगम (एम ए एम सी), भारत ओपथैलमिक ग्लास लिमिटेड (बी ओ जी एल), साइकिल कार्पोरेशन आफ इंडिया (सी सी आइ एल), बेथर्ड इंडिया लिमिटेड (डब्ल्यू आर एल), रिहेबिलीटेशन इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन (आर आइ सी), नेशनल बाइसिकल कार्पोरेशन (एन बी सी), टैनरी एण्ड फूटवियर कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (टी ए एफ सी ओ) तथा भारत प्रौसेज एण्ड मैकेनीकल इंजीनियर्स लिमिटेड (बी सी एम ई एल) इत्यादि को बंद करने सम्बन्धी निर्णय की घोषणा की है। भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल तथा बिहार में 64 कोयला खदानों को बंद कर देने का निर्णय भी लिया है। इसके दुष्परिणामस्वरूप सीधे इन औद्योगिक इकाईयों तथा खदानों से जुड़े 80,000 से अधिक श्रमिक अपना रोजगार खो बैठेंगे, इसके अतिरिक्त वे हजारों लोग भी अपनी-अपनी आजीविका से वंचित हो जाएंगे जो सहायक उद्योग धंधों में लगे हुए हैं।

उल्लेखनीय है कि सार्वजनिक क्षेत्र की आठ बीमार इकाईयों जिनके नामों का ऊपर उल्लेख किया गया है, के पुनरुद्धार की लागत बी आइ एफ आर के पास लम्बित पड़े पुनर्वास पैकेज के अनुसार, उन्हें बंद करने पर होने वाले खर्च से कहीं कम है। इस पर भी भाजपा सरकार उन्हें बंद करने के लिये तुली हुई है।

लोगों के जबरदस्त प्रतिरोध तथा जनमत के कारण ये कार्रवाईयां कुछ समय के लिए रुक गई हैं किन्तु हमारा विश्वास है कि भाजपा सरकार केवल कुछ और समय चाहती है। राज्य के कोष में से और धन लगाकर इन इकाइयों का पुनरुद्धार करने, उनकी प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण तथा कामकाजी पूंजी उपलब्ध कराने की उसकी कोई इच्छा नहीं है। यही कारण है कि सार्वजनिक क्षेत्र की इन इकाइयों के पुनरुद्धार के लिये वर्ष 1999-2000 के वार्षिक बजट में धन का आबंटन नहीं किया गया। इन मामलों की “समीक्षा” करने के लिये केवल एक समिति का गठन किया गया है।

दूसरी ओर, वही भाजपा सरकार बड़े कारोबारी घरानों की विभिन्न इकाइयों को अर्थसंकट में से बाहर निकालने के लिये धन देने के मामले में आवश्यकता से अधिक उदार बन गई है। इसार स्टील को छोड़ देने सम्बन्धी पैकेज तथा निजी क्षेत्र के सेलुलर आपरेटरों के मामले इस दृष्टि से विचारनीय है।

बीमार इकाइयों का पुनरुद्धार करने के प्रश्न पर भाजपा सरकार के पाखण्ड की पोल इंडियन आयल कार्पोरेशन (आइ ओ सी), गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (जी ए एल), महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एन टी एन एल), कंटेनर कार्पोरेशन आफ इंडिया (सी ओ एन सी ओ आर) इत्यादि ब्लू चिप कम्पनियों के शेयरों का पूंजी विनिवेश करने के उसके निर्णय से खुल जाती है।

पूंजी विनिवेश आयोग ने “सामारिक क्रेताओं” के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के शेयर बेच देने का सुझाव दिया है। इन सामरिक क्रेताओं को पहली किश्त में 50 प्रतिशत शेयर दिये जाएंगे और प्रबंधन पर भी उनका नियंत्रण होगा। शेष सम्पत्ति निश्चित अवधि में और मोल तोल करने के पश्चात् निश्चित मूल्यों पर सामरिक क्रेता को हस्तांतरित कर दी जाएगी।

इन ब्लू चिप कम्पनियों के शेयरों के मूल्यों को सरकार द्वारा कृत्रिम ढंग से नीचे गिरा दिया गया है, इसके लिये बाजार के हथकण्डे अपनाए गए ताकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को उनका उपहार दिया जा सके। इसके विपरीत निजी कम्पनियों के लाभ में मामूली सी वृद्धि भी होती है तो उनके शेयरों के मूल्यों में जबरदस्त उछाल आ जाता है। किन्तु इंडियन आयल कार्पोरेशन के शेयरों का मूल्य 570 रुपये से गिरकर 270 रुपये प्रति शेयर तक पहुंच गया जबकि उसने लाभ में वृद्धि दर्ज कराई थी। राष्ट्रीय सम्पदा के बहुराष्ट्रीय निगमों के प्रास हस्तांतरण की प्रक्रिया भाजपा सरकार द्वारा तेज कर दी गई और लाखों-लाख डालर एक हाथ से निकल कर दूसरे हाथ में चले गए। स्वदेशी आंदोलन ने निश्चित रूप से हमें 1947 से पहले की आर्थिक स्थिति में धकेल दिया है और इस स्थिति में केवल बड़ी विदेशी कम्पनियों का हमारे सम्पूर्ण औद्योगिक क्षेत्र पर बर्चस्व होगा।

भले ही क्रेताओं को कितनी अधिक सुविधाएं अथवा छूटें प्रदान की जाएं, इस पर भी बीमार तथा पंगु अर्थव्यवस्था में पूंजीविनिवेश भी ढीला ढाला होता है। इसलिए सरकार को एक नयी प्रक्रिया का आविष्कार करना पड़ा। इसका नाम था शेयरों की पुनर्खरीद। भाजपा सरकार के पुनर्खरीद की प्रणाली के माध्यम से विशाल धन राशि इकट्ठी करने का एक नया तथा शानदार ढंग मिल गया। सरकार ने नगद राशि की दृष्टि से समृद्ध वेन कम्पनियों को भारत के राष्ट्रपति

से अपने शेयरों की पुनर्खरीद करने के लिये विवश किया। सरकार ने 1998-99 में इस ढंग से 5300 करोड़ रुपये की राशि अर्जित की। और वर्तमान वित्तीय वर्ष 1999-2000 में भाजपा सरकार ने पूंजीविनिवेश से 10,000 करोड़ रुपये की राशि अर्जित करने का लक्ष्य का निर्धारण किया था, इसमें उसे उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है।

इस प्रक्रिया ने तेल कम्पनियों से उनका निवेश योग्य अतिरिक्त धन निकाल लिया है, उन्हें अपनी कम्पनियों के आधुनिकीकरण तथा उनका विस्तार करने के लिये इस धन की आवश्यकता थी। जब इन कम्पनियों को भारी प्रौद्योगिकी को और उन्नत बनाने के लिये धन की आवश्यकता होगी तब भारत सरकार अपनी वर्तमान नीतियों के अनुसार कोई सहायता नहीं देगी। अतः स्वाभाविक है कि वे बीमार हो जाएंगी और तब वे अपने विनाश को आमंत्रण देने लगेंगी।

सरकार ने धन अर्जित करने की एक और विधि क्रास होल्डिंग का आविष्कार किया है। इस प्रक्रिया में ओ एन जी सी के द्वारा आइ ओ सी के शेयर खरीदे जाएंगे और ओ एन जी सी के शेयर आइ ओ सी खरीदेगी। और इस प्रकार यह क्रम चलता रहेगा। ये शेयर बाजार से नहीं अपितु एक बार पुनः भारत के राष्ट्रपति से खरीदे जाएंगे।

वर्ष 1999-2000 के प्रकाशित बजट भाषण से पीछे हटते हुए वित्त मंत्री ने गर्व के साथ घोषणा की थी कि “इसके पश्चात् मैं “निजकीरण” के शब्दों में बात करूंगा, पूंजीविनिवेश के शब्दों में नहीं।” भाजपा सरकार ने अन्ततः अपने पाखण्ड के चोले को उतार कर फैक ही दिया।

जिस पागलपन के साथ सार्वजनिक क्षेत्र को बेच देने और जिस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाने के लिये भाजपा सरकार आगे बढ़ी है, वह निःसंदेह चौंका देने वाली है। कांग्रेस सरकार द्वारा वर्ष 1991 में उदारीकरण की नीति शुरू किये जाने के पश्चात् सात वर्षों में 11527 करोड़ रुपये के सार्वजनिक क्षेत्र के शेयरों का पूंजीविनिवेश किया जा चुका है। संयुक्त मोर्चा सरकार वाम दलों के प्रतिरोध तथा श्रमिक आंदोलन का दबाव पड़ने के कारण इस दिशा में अधिक आगे नहीं बढ़ सकी थी। किन्तु भाजपा सत्ता ने अठारह मास से भी कम समय के शासनकाल में पिछले सात वर्षों के पूंजीविनिवेश के आंकड़ों के बराबर शेयरों का पूंजीविनिवेश कर डाला है। यह एक पागलपन है या स्वदेशी के लिये प्रतिबद्धता और या स्वयं देश को ही बेच डालने की कार्रवाई।

11. विचारधारा की कड़ाई कहीं दिखाई नहीं देती

भाजपा के प्रमुख नेता निस्तेज हो गये हैं, इसमें संदेह नहीं। आर्थिक दर्शन के अपने अन्तर्राष्ट्रीय प्रभुओं के लिये अपने आश्वासनों को पूरा करने के उद्देश्य से बीमा क्षेत्र के किवाड़ खोलने के लिये कदम उठाते समय उन्हें स्वयं अपनी ही भगवा ब्रिगेड में विरोध का सामना करना पड़ा। इस मामले में स्वदेशी जागरण मंच सबसे आगे रहा और बी एम एस द्वारा भी इसका विरोध किया गया। किन्तु गृहमंत्री एल के आडवाणी ने यह कह कर विदेशी पूंजी के लिये बीमा क्षेत्र के किवाड़ खोलने के कदम को न्यायोचित करार दिया कि आर्थिक नीति सम्बन्धी मामलों में “विचारधारक कठोरता के लिये कोई स्थान नहीं है।”

यशवंत सिन्हा ने यह कह कर अपनी व्यग्रता व्यक्त की कि “देश की आर्थिक स्थिति बहुत

खराब है अर्थात् उसका आर्थिक ढांचा चरमरा रहा है" और आइ आर ए विधेयक "हमारे लिये एक जांच का मामला बन गया है, यह इस देश में विदेशी निवेश के प्रवाह का निर्धारण करेगा।"

वास्तविकता तो यह है कि विदेशी निवेश के मोर्चे की स्थिति समग्र रूप में बहुत ही धूमिल है। सेंटर फार मानिट्रिंग इंडियन इकानमी (सी एम आइ ई) ने विचार व्यक्त किया है कि पिछले वर्ष की तुलना में अप्रैल-सितम्बर 1998 के मध्य गैर ऋण विदेशी निवेश में 75 प्रतिशत तक गिरावट आई जबकि वर्ष की शेष अवधि में भी स्थिति में न्यूनाधिक बदलाव नहीं आया था। यही नहीं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 75 प्रतिशत भाग का अन्तर्वाह भारतीय कम्पनियों को नियंत्रण में लेने, उनका अधिग्रहण करने तथा उन्हें अपनी कम्पनियों (विदेशी) में विलीन करने के लिये हुआ था और वह भी नये रोजगार के सृजन में योगदान दिये बिना अथवा देश की उत्पादक क्षमता को बढ़ाये बिना हुआ।

सरकार डींगें हांक रही है कि भारत 29 अरब अमरीकी डालर की विदेशी मुद्रा के भण्डार के साथ आरामदेह स्थिति में आ गया है, किन्तु वह सत्य को छिपा रही है, विदेशी मुद्रा के इस भण्डार में 21 अरब अमरीकी डालर से भी अधिक राशि तो "चंचल धन" है और उसका उपयोग केवल सट्टेबाजार जैसे उद्देश्यों के लिये होता है। यह धन कभी भी उड़न छू हो सकता है।

इन चौंका देने वाली वास्तविकताओं के होने पर भी भाजपा इस विनाशकारी नीति पर रचलने की प्रतिज्ञा कर रही है और वह भी चुनावों के पश्चात्, यदि वह पुनः सत्ता में आती है तो।

कांग्रेस जिसने आर्थिक सुधारों को शुरू किया है, से अधिक चतुर बनने का प्रयास करते हुए यशवंत सिन्हा ने कहा, "पहले चरण की उदारीकरण की प्रक्रिया तदर्थ आधार पर चलाई गई थी, वह सुनियोजित नहीं थी। इसलिए इस सुधारों की अपूर्ण सूची को पूरा करने के उद्देश्य से उसके द्वितीय चरण के कार्यक्रम पर एक दस्तावेज का प्रकाशन करके इस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं।"

(द आब्जर्वर आफ बिजनेस एण्ड पालिटिक्स, 30 अप्रैल 1998)

वह दृढ़प्रतिज्ञ हैं। उनका काम है देश तथा उसकी अर्थव्यवस्था को समाप्त करना!

12. श्रमिकों के साथ कठोर व्यवहार

भाजपा सरकार ने अत्यंत विनाशकारी आर्थिक नीतियों को लागू करने के चक्कर में श्रमिकों के हितों को जबरदस्त क्षति पहुंचाई है। उसने श्रमिकों से सम्बन्धित प्रत्येक मामले में बढ़-चढ़कर श्रमिक विरोधी कार्रवाईयां की हैं।

भारतीय उद्योग के परिसंघ द्वारा 11 दिसम्बर 1998 को आयोजित श्रम प्रबंधन पर एक सम्मेलन में श्रम सचिव एल मिश्र ने उन "परिवर्तनों की सूची दी जिन्हें औद्योगिक सम्बन्धों के स्वरूप में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से कानून में लाए जाने की आवश्यकता है।" कर्मचारियों की छंटनी को सरल बनाने, कामकाजी घण्टों को आठ से बढ़ाकर बारह कर देने, सर्वत्र संविदा श्रमिकों की नियुक्ति को कानून सम्मत बनाने और श्रमिक संघों की मान्यता तथा पूंजीकरण सम्बन्धी कानूनों

को और कड़ा बनाने" के लिये ये संशोधन अपेक्षित थे।

उच्चतम न्यायालय द्वारा दिय गये निर्णय की पृष्ठभूमि में जिसमें उसने संविदा (ठेका) श्रमिकों को नियमित करने की मांग का समर्थन किया था, भाजपा शासन के अन्तर्गत श्रम मंत्रालय ने "उद्योग की कुछ श्रेणियों द्वारा मुखर रूप से उठाई गई इस मांग को स्वीकार कर लिया है कि उन्हें अपने कुछ विशेष कार्य बाहर से कराने की अनुमति प्रदान की जाए जो एक अन्तर्राष्ट्रीय रुझान है।"

सेवा योजकों की लाबी द्वारा उठाई जा रही इस मांग के लिये अपनी मौन स्वीकृति देते हुए श्रम मंत्रालय भाजपा की सत्ता के अन्तर्गत संविदा अर्थात् ठेका श्रमिकों से सम्बन्धित कानूनों को बदलने के लिये दिन रात एक कर रहा है ताकि संविदा (ठेका) श्रमिकों की नियुक्ति अथवा तैनाती को कानून सम्मत बनाया जा सके और उन मामलों में भी जहां काम स्थायी प्रकृति का होता है। यदि वह अपने इन प्रयासों में सफल हो जाता है, तो श्रमिकों का व्यापक स्तर पर और कहीं अधिक तीव्र गति से संविदाकरण हो जाएगा।

इसी प्रकार की कार्रवाईयां सेवा क्षेत्र में भी की जा रही हैं, वहां श्रमिकों को औद्योगिक विवाद अधिनियम के घेरे से बाहर ले जाने के प्रयास किये जा रहे हैं और श्रमिकों के साथ सम्बन्ध रखने वाले सभी कानूनों को नर्म बताया जा रहा है ताकि श्रमिकों के अधिकारों में जबरदस्त कटौती करने के साथ-साथ सेवा योजकों को बेरोकटोक काम करने के लिये सभी शक्तियां दी जा सकें।

भाजपा सत्ता ने कामकाजी महिलाओं को रात्रि पाली में नियुक्त करने के लिये सेवा योजकों पर लगाए गये प्रतिबंध को भी समाप्त करने का प्रयास किया है।

भाजपा सरकार ने श्रमिक वर्ग के पक्ष में एक भी कदम नहीं उठाया है। बोनस भुगतान अधिनियम में संशोधन करने तथा उसकी सीमा समाप्त करने की श्रमिक संगठनों की संयुक्त मांग भी सरकार द्वारा स्वीकार नहीं की गई। खेत मजदूरों के लिये एक व्यापक कानून बनाने सम्बन्धी आश्वासन भी भूमिपतियों की लाबी के दबाव में आकर ठण्डे बस्ते में डाल दिया गया है। प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सम्बन्धी नौ वर्ष पुराने विधेयक पर जानबूझ कर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही।

श्रमिकों के साथ सम्बन्ध रखने वाले नीतिगत निर्णयों की घोषणा श्रम मंत्रालय की अनदेखी करके अन्य मंत्रियों द्वारा की जाती है और वह भी केन्द्रीय श्रमिक संगठनों के साथ विचार विमर्श किये बिना। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि 10 प्रतिशत भविष्य निधि तथा पेंशन निधि निजी क्षेत्र के बांड्स में खर्च की जाएगी। वाणिज्य मंत्री ने घोषणा कर दी कि निर्यात प्रसंस्करण अंचलों में श्रम कानून लागू नहीं होंगे और उन्हें मुक्त व्यापार अंचलों का नया नाम दिया जाएगा। सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्री ने घोषणा की कि 20 प्रतिशत भविष्य निधि तथा पेंशन निधि का निवेश निजी क्षेत्र में किया जाएगा तथा और 10 प्रतिशत शेयरों में लगाई जाएगी। उसने श्रमिकों द्वारा भविष्य निधि निकालने पर कड़े प्रतिबंध लगाने तथा इसके लिये 10 प्रतिशत कर की वसूली करने की संस्तुति भी दी है। उसने पेंशन योजना से सरकार के 1.16 प्रतिशत अंशदान को वापस

लेने की मांग भी की है। दूसरी ओर वित्तमंत्री ने पेंशन निधि पर ब्याज की दर बढ़ाने (8.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत करने) सम्बन्धी त्रिपक्षीय स्थायी श्रम समिति द्वारा सर्वसम्मति से दी गई संस्तुति (सिफारिश) को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया है। यह वह धन है जिसे सरकार ने अपने राज कोष में रखा है।

इसके साथ ही साथ भाजपा सरकार ने वार्षिक समीक्षा/मूल्यांकन के लिये पेंशन योजना के प्रावधान का उल्लंघन किया है। पिछले चार वर्षों की अवधि में केवल 4 प्रतिशत की तदर्थ राहत दी गई है और वह भी उनके लिये जो 15-11-1996 को पेंशन भोगी थे।

सार्वजनिक उपक्रमों के ब्यूरो द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिये जारी किये गए दिशा निदेश पूर्णतया श्रमिक विरोधी तथा पक्षपाती हैं। बी पी ई ने वर्तमान में समझौते के लिये लागू पांच वर्षीय अवधि के स्थान पर दस वर्षीय अवधि के लिये समझौते करने का सुझाव दिया है और उसने कहा है कि प्रति इकाई श्रम लागत में वृद्धि नहीं की जाए। भाजपा सरकार जिसने सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों के कार्यकारी अधिकारियों के मामले में मोहन समिति की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया था, ने कर्मचारियों के मामले में अलग मापदण्ड अपनाया है।

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, भाजपा सरकार ने केन्द्रीय श्रमिक संगठनों के साथ विचार-विमर्श किये बिना ही द्वितीय राष्ट्रीय आयोग की नियुक्ति करने की घोषणा कर दी थी। उसके विचारार्थ विषयों में असंगठित श्रमिकों के संरक्षण के लिये “छाता” कानूनों का सुझाव देने हेतु मगरमच्छ के आंसू बहाने के साथ साथ संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिये लागू वर्तमान श्रम कानूनों को यौक्तिकरण करने का उद्देश्य भी निहित था। उसे (संगठित क्षेत्र के श्रमिक को) सेवा योजकों की आवश्यकताओं के अनुरूप कानूनों के अन्तर्गत लाना था। यह आवश्यकता श्रम बाजार का विनियमन करने की है जो भूमण्डलीकरण तथा उदारीकरण की नीतियों के साथ मेल खाता हो।

भाजपा सरकार की इन श्रमिक विरोधी कार्रवाईयों के विरुद्ध श्रमिकों की सभी श्रेणियों में रोष फैल गया है। सम्पूर्ण श्रमिक आंदोलन ने अप्रैल 1999 में आयोजित भारतीय श्रम सम्मेलन में इन प्रयासों की निंदा की थी और यहां तक कि सम्मेलन की कार्रवाई का बहिष्कार करने की धमकी भी उसने दे डाली थी।

इस पर भी भाजपा सरकार के कदम नहीं डगमगाए और वह श्रमिकों के प्रति अपना कठोर व्यवहार जारी रख रही है। सूचना मिली है कि पूर्व केन्द्रीय श्रममंत्री रविन्द्र वर्मा को राष्ट्रीय श्रम आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति संघ परिवार के साथ उनकी निकटता तथा प्रभाव के कारण की गई है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय श्रमिक संगठनों द्वारा दिये गए सुझाव की अनदेखी कर दी गई। यहां तक कि चुनाव आयोग को भी आयोग के गठन की अधिसूचना जारी करने सम्बन्धी सरकार के प्रस्ताव को रद्द कर देना पड़ा। किन्तु अध्यक्ष ने सदस्य सचिव के साथ औपचारिक अधिसूचना जारी हुए बिना ही कार्यभार ग्रहण कर लिया है। क्या ही आश्चर्यजनक सुशासन है यह।

हरियाणा में भाजपा-हरियाणा विकास पार्टी की सरकार जिसके मुख्यमंत्री बंसी लाल थे, ने ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं के विरुद्ध प्रतिशोध की कार्रवाईयां करने तथा उनमें आतंक फैलाने के मामले में कीर्तिमान स्थापित किया है। वर्ष 1998 में हरियाणा में हड़ताल के समय चैंतीस नर्सों को नौकरी से निकाल दिया गया। राज्य सरकार के 240 कर्मचारियों को 11 दिसम्बर 1998 की अखिल भारतीय हड़ताल के साथ सम्बन्ध रखने के आरोप में निलम्बित कर दिया गया। हरियाणा सरकार ने हरियाणा सर्व कर्मचारी संघ के महासचिव के नाम एक नोटिस जारी करके 15 लाख रुपये की क्षति जो हड़ताल के कारण राज्य विद्युत बोर्ड को उठानी पड़ी थी, की भरपाई करने के लिये कहा। इन सभी कार्रवाईयों के समय सरकार में भागीदार भाजपा मूक दर्शक बनी रही। अब, भाजपा ने बंसी लाल की सरकार को पलट दिया है; किन्तु उसने इस प्रकार की सभी लज्जाजनक श्रमिक विरोधी कार्रवाईयों का सदा समर्थन किया है। हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा नाथया-झाकड़ी ऊर्जा परियोजना के श्रमिकों के विरुद्ध बराबर दमनात्मक कार्रवाई की गई, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के हड़ताली श्रमिकों का दमन किया गया। इन दोनों राज्यों में भाजपा का शासन है। इससे उसके श्रमिक विरोधी विचारों की अभिव्यक्ति होती है।

श्रमिक जनता को अनुभव करना होगा कि भाजपा के केन्द्र में सत्तारूढ़ होने का अर्थ केवल उसके हाथ में श्रमिकों को पीटने के लिये लोहे की छड़ पकड़ा देना है और देश भर में श्रमिकों के लिये दासत्व की स्थितियां बनाने के लिये नियंत्रण देना है। देश भर में श्रमिकों के लिये अधिकतम सुरक्षा स्वयं उनके द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है और आगामी चुनावों में भाजपा गठबंधन को जबरदस्त पराजय देकर ही इसे सुनिश्चित बनाया जा सकता है।

13. बी एम एस को भी सहन नहीं करते

भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा सुधारों की प्रक्रिया का अन्धानुकरण किया जा रहा है। यहां तक कि भगवा झण्डे वाले केन्द्रीय श्रमिक संगठन भारतीय मजदूर संघ (बी एस एस) के प्रति भी वह असहनशील बन गई है। बी एम एस के कार्यकारी अध्यक्ष आर वेणुगोपाल ने 13 जनवरी, 1999 को बजट पूर्व विचार विमर्श के लिए बुलाई गई बैठक में एक वक्तव्य दिया था। उस वक्तव्य में उन्होंने प्रश्न उठाया था : “क्या यहां सरकार नाम की कोई चीज है?”

उनके वक्तव्य के अधोलिखित प्रमुख अंशों को पढ़ना लाभदायक रहेगा :

“आइये हम इस वास्तविकता का सामना करें कि वर्ष 1991 में शुरू की गई उदारीकरण, भूमण्डलीकरण, अर्थव्यवस्था के द्वार खोल देने इत्यादि ने हमारे देश के साधारण श्रमिकों को कोई लाभ नहीं पहुंचाया है। दूसरी ओर इसके परिणामस्वरूप केवल बेरोजगारी, संविदाकरण, कामबंदी में बढ़ोतरी हुई है— और हमारे औद्योगिक प्रतिष्ठानों तथा यहां तक कि कृषि क्षेत्र पर बहुराष्ट्रीयों द्वारा नियंत्रण कर लिया गया है, इसमें संदेह नहीं। अब भी सरकार यह प्रक्रिया जारी रखने के लिये तुली हुई है— शायद गैट के विभिन्न अनुच्छेदों के दबाव में आकर। किन्तु हम अनुभव करते हैं कि सरकार गैट की बाध्यताओं तथा अपनी विभिन्न आर्थिक नीतियों में अपनी सीमाओं से बाहर

जाकर काम कर रही है। उदाहरणार्थ, अमरीकी कम्पनी “मानसांटो” को गैर जबकि बीजों के उत्पादन के लिये दी गई अनुमति से भविष्य में हमारी कृषि पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। यहां तक कि संतरे, चीनी इत्यादि जिनका हमारे यहां अत्यधिक उत्पादन होता है, का भी युक्त रूप से आयात करने की अनुमति दे दी गई है। सोने पर आयात शुल्क बढ़ा कर सरकार इस बहुमूल्य धातु की तस्करी को बढ़ावा दे रही है। निजीकरण के नाम पर सरकार के स्वामित्व वाली कम्पनियों में अन्धार्ध पंजीविनिवेश होने के परिणामस्वरूप बहुराष्ट्रीय निगम उन्हें खरीद लेंगे। कम्पनियों में कामबंदी के लिये आदेश जारी किये जाते हैं और उनको होने वाले घाटे के कारणों की जांच भी नहीं की जाती तथा न ही उनमें सुधार लाने के लिये कदम उठाए जाते हैं। निर्माण के लिये निजी कम्पनियों को आदेश दिये जाने के परिणामस्वरूप एच एस सी एल, एन पी सी सी इत्यादि में हजारों श्रमिक रोजगार से वंचित हो गए हैं और उन्हें वेतन भी नहीं दिया जा रहा। समग्र रूप में श्रमिक यह पूछने लगे हैं कि “क्या यहां सरकार नाम की कोई चीज काम करती है अथवा क्या नौकरशाह एक दूसरे के साथ तालमेल किये बिना ही सारा काम चला रहे हैं?”

“समग्र रूप में लोगों को विश्वास में लो। याद रखो कि यह देश मुट्ठी भर सलाहकारों के शासन करने के लिये नहीं है जो अपने विदेशी प्रभुओं को प्रसन्न करने के लिए उत्साहपूर्वक कार्य करते हैं। यदि सकार उब्ल्यू टी ओ के आदेशों का उल्लंघन के लिये दृढ़निश्चय करती है तो लोग प्रत्येक बलिदान करने के लिए तैयार बैठे हैं। उन्होंने तो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिये गांधी जी के नेतृत्व में संघर्ष करते हुए कष्ट एवं कठिनाईयां झेली थीं। हम श्रमिक संघों वाले इस काम में आपकी सहायता करेंगे।”

किन्तु यह सरकार है कि उसे लज्जा ही नहीं आती।

14. अभूतपूर्व मूल्य वृद्धि

भाजपा सरकार के अन्तर्गत देश को अभूतपूर्व मूल्य वृद्धि की स्थिति झेलनी पड़ी है; यह स्थिति चौंका देने वाली है और इसने पिछले सभी रिकार्ड तोड़ दिये हैं।

आर्थिक सर्वेक्षण 1998-99 में सरकार द्वारा की गई स्वीकारोक्ति सत्य को उद्घाटित करती है। नीचे सर्वेक्षण में प्रकाशित एक बाक्स समाचार के एक अंश का प्रकाशन किया जा रहा है।

प्याज के मूल्य

“पहले कभी भी केवल एक और वह भी प्याज जैसी कम महत्व की उपभोक्ता वस्तु के मूल्य की वृद्धि मूल्यों के घरेलू परिदृश्य विशेष रूप से उत्तरी भारत में छाई नहीं रही। उसके परचून मूल्य दिल्ली में सामान्यतया 6 रुपये से लेकर 12 रुपये किलो के मध्य होते हैं। इस वर्ष जनवरी में इसका मूल्य बढ़कर 16 रुपये प्रति किलो हो गया और अप्रैल-मई में 6 रुपये तक नीचे गिर कर जुलाई-अगस्त में 13 रुपये से लेकर 33 रुपये प्रति किलो तक चढ़ गया। अक्टूबर-नवम्बर 1998 में यह मूल्य अपनी पराकाष्ठा पर जा पहुंचा जब उसका भाव 45 रुपये प्रति किलो हो गया। उन्हीं दिनों उसके परचून मूल्य 60 रुपये प्रति किलो तक भी बोले गए। इस अभूतपूर्व मूल्य वृद्धि

की परछाई ने अन्य सभी वस्तुओं के मूल्यों को ढांप लिया। यहां तक कि खाद्य तेल विशेष रूप से सरसों का तेल जिसका मूल्य लगभग दोगुणा हो गया था और आलू जिनका मूल्य इस वर्ष दोगुणा हो गए थे जून-अक्टूबर 1998 के मध्य 10 रुपये से लेकर 6 रुपये प्रति किलो तक रहा।”

उन सभी दिनों में मूल्य आकाश को छूने लगे किन्तु भाजपा सरकार निश्चित बैठी रही। प्याज, सब्जियों; खाद्य तेल, दालों इत्यादि के मूल्यों में अप्रैल 1998 के पश्चात् निरंतर वृद्धि होते चले जाने पर भी प्याज तथा अन्य कृषि उत्पादों का हजारों टनों में देश से निर्यात करने की अनुमति दी गई। इसके फलस्वरूप स्थिति और अधिक विगड़ गई जिसका लाभ काले बाजार का धंधा करने वालों, जमा खोरों तथा व्यापारियों ने दिल खोल कर उठाया। उसमें सरकार की भी संलिप्तता रही, उसे केवल थोक व्यापारियों, जमाखोरों तथा काले बाजार का धंधा करने वालों की चिंता ही सताती रही, इसके चलते उसका जन विरोधी निर्लज्ज स्वरूप उजागर हो गया।

वर्ष 1998-99 के मध्य मूल्य वृद्धि के रुझान से पता चलता है कि अनिवार्य उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को वस्तुतः भाजपा सरकार ने ही व्यापारियों तथा जमाखोरों के मध्य अपने समर्थकों के आधार को बनाए रखने तथा उन्हें प्रसन्नचित्त करने के उद्देश्य से बढ़ावा दिया था। उसका यह आचरण जन साधारण के हितों के लिये घातक था। अप्रैल-दिसम्बर 1998 के मध्य चावल का थोक मूल्य सूचकांक 44 बिंदुओं तक (12 प्रतिशत), गेहूं 43 बिंदुओं तक (13 प्रतिशत), दालें 88 बिंदुओं तक (20 प्रतिशत) तथा खाद्य तेल 43 बिंदुओं (14 प्रतिशत) तक उछला। इसी अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 37 बिंदुओं तक उछला। इसी अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 37 बिंदुओं तक उछला। उसकी तुलना में 1997 में उसी अवधि में वह केवल 13 बिंदुओं तक रहा था और उस समय देश में भाजपा की सरकार नहीं थी।

अब, आंकड़ों की जादूगरी दिखाकर यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि इस समय देश में मुद्रा स्फीति की दर सबसे कम है। किन्तु तथ्य यह है कि जन साधारण के दैनंदिन उपयोग में आने वाली अनिवार्य उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में कोई कमी नहीं आई।

एसोसिएटिड चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री (एसोचैम) ने विचार व्यक्त किया है, “मुद्रा स्फीति की दर 17 वर्षों में सबसे नीचे रही। इसका प्रमुख कारण निर्माता (मैन्युफैक्चर्ड) वस्तुओं मूल्यों में मंद वृद्धि (0.4 प्रतिशत) होना है जबकि मूल खाद्य वस्तुओं के मूल्यों में 5 जून, 1999 तक 3 प्रतिशत तक वृद्धि हुई।” (द आब्जर्वर, 20-7-99)। यह संवृत्ति सर्व व्यापी मंदे की गहराई को व्यक्त करती है, अर्थव्यवस्था के अच्छे स्वास्थ्य का प्रदर्शन नहीं करती। इसलिए “मुद्रास्फीति की गिरती दर” और उसके साथ अनिवार्य उपभोक्ता वस्तुओं के बढ़ते मूल्यों का यह प्रकटीकरण इस बात का सूचक है कि भाजपा शासन के अन्तर्गत विश्व बैंक में उसके आकाओं को तो प्रसन्न किया जा सकता है किन्तु देश का जनसाधारण अनिवार्य उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों की वृद्धि के कमरतोड़ बोझ के नीचे पिसता रहेगा। यही नहीं, मंदे तथा उसके साथ अनिवार्य उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के अन्तर्गत अर्थव्यवस्था के विकास की मंद गति जनता की

विशाल श्रेणियों में व्याप्त दरिद्रता यही संकेत देती है कि उसमें सर्वव्यापी गिरवाट आएगी तथा लोगों की स्थिति और अधिक खराब हो जाएगी। लोग इस सरकार के बोझ को और अधिक समय तक झेल नहीं सकते क्योंकि इसके सत्ता में बने रहने के फलस्वरूप उनके कष्टों में ही वृद्धि होगी।

15. साम्प्रदायिकता का कटटरपंथी उभार

इस अवधि में हिन्दुत्व की शक्तियों द्वारा अपनी गुप्त कार्यसूची को आगे बढ़ाने के लिये प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रयासों में वृद्धि को देखा गया। इसके लिये भाजपा के नेतृत्व वाली चरमराती गठबंधन सरकार का उपयोग किया गया।

बाबरी मस्जिद के विध्वंस के पश्चात् मुस्लिम अल्प संख्यकों के विरुद्ध मुम्बई के दंगों पर श्री कृष्णा आयोग की रिपोर्ट के प्रति असम्मान का प्रदर्शन करते हुए उसे कूड़ेदान में फेंक दिया गया। संघ परिवार से इससे अधिक आशा और क्या की जा सकती है; यह इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। महाराष्ट्र की शिव सेना-भाजपा गठबंधन सरकार द्वारा अपनाए गए इस रुख का केन्द्र की भाजपा सरकार द्वारा निर्लज्जतापूर्वक समर्थन किया गया।

महाराष्ट्र में भगवा सरकार द्वारा मुसलमानों तथा अन्य अल्पसंख्यकों के विरुद्ध एक और कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई पश्चिम बंगाल से सम्बंधित मुसलमान श्रमिकों को “बंगला देशी” कह कर गेर कानूनी ढंग से निकालने के लिए की गई थी। एल के आडवाणी ने 28 जुलाई 1998 को संसद में इस कार्रवाई को न्यायोचित करार दिया था।

अल्पसंख्यकों के विरुद्ध भगवा ब्रिगेड की एक और अशांत कर देने वाली कार्रवाई ईसाई समुदाय पर सुनियोजित ढंग से किये गए हमलों की थी। इसकी पराकाष्ठा भाजपा शासित राज्य गुजरात में हुई। इसी प्रकार प्राकर के हमले अन्य राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और उसके साथ-साथ पंजाब में भी किये गए। यह दुखदायी विषय है कि ईसाई समुदाय के विरुद्ध हिंसात्मक घटनाएं केन्द्र में हिन्दुत्ववादी शक्तियों के सत्ता में आ जाने के पश्चात् चौंका देने वाली सीमा तक बढ़ गई हैं। वर्ष 1964 तथा 1996 के मध्य 32 वर्षों में 38 घटनाएं हुई थीं। अकेले 1997 वर्ष में ही इस प्रकार की 15 घटनाएं घटीं। नवम्बर 1998 तक आंकड़ा उछल कर 98 तक पहुंच गया जो चौंका देने वाली स्थिति है। इनमें से 15 घटनाएं” अकेले गुजरात में घटीं जहां 11 गिरजा घरों को ध्वस्त कर दिया गया।

इन घटनाओं का आरम्भ 1998 के क्रिस्मस दिवस से हुआ। बजरंग दल तथा विश्व हिन्दु परिषद ने गुजरात में अपनी विनाश लीला का प्रर्शन किया, उसने गिरजा घरों को ध्वस्त किया तथा उन्हें जला डाला, ईसाई समुदाय के लोगों पर बर्बर हमले किये गए।

भाजपा के केशुभाई पटेल मंत्रिमंडल की निर्लज्ज सहायता तथा सरकारी तंत्र की लज्जाजनक मिलीभुगत के कारण ही ये सभी कार्रवाइयां हुई थी।

इसकी राष्ट्रव्यापी निंदा हुई। किन्तु भाजपाई प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने हिंसा से प्रभावित स्थानों की यात्रा करने के पश्चात् राज्य सरकार को दोष मुक्त करार दे दिया। उन्होंने संघ

परिवार के दृष्टिकोण के अनुसार अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हुए धर्मांतरण पर राष्ट्रीय बहस कराने की मांग भी कर दी। पक्षपात कभी इतने नग्न रूप में देखा नहीं गया था। जनवादी जनमत ने देश व्यापी स्तर पर राष्ट्रीय बहस के लिये किये गये इस संदिग्ध-आह्वान को ठुकरा दिया और प्रधानमंत्री से कहा गया वह संघ परिवार को नकेल डालें तथा अल्पसंख्यकों के सुरक्षा को सुनिश्चित बनाया जाए।

शिव सेना के प्रमुख ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के भारत में खेले जाने के विरोध में एक नया पागलपन भरा उन्माद छेड़ दिया, दिल्ली में पिच खोद डाली गई, इसके अतिरिक्त दिल्ली-लाहौर बस सेवा में व्यावधान डालने की धमकी दी गई। मुम्बई में क्रिकेट सम्बन्धी उठाए गए विवाद को सुझलाने के लिये प्रधानमंत्री ने अपने गृहमंत्री को नियुक्त किया। उन्होंने शिव सेना प्रमुख को मनाया और राहत की सांस ली। किन्तु शिव सेना की बर्बरता में कमी नहीं आई। चित्रकार एफ एम हुसैन, अभिनेता दिलीप कुमार पर हमले और भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के कार्यालय में गुण्डागर्दी का प्रदर्शन हाल ही में घटी घटनाएं हैं।

इन घोर सांप्रदायिक तत्वों द्वारा अत्यंत अमानुषिक, बर्बर तथा जघन्य कांड जनवरी 1999 में उड़ीसा के मनोहरपुर में किया गया। एक ईसाई पादरी ग्राहम स्टेन्स को उसके दो युवा बच्चों के साथ एक जीप में डाल कर जीवित जला डाला गया। स्टेन्स ने 34 वर्ष भारत में व्यतीत किये थे और वह कष्ट निवारण केंद्र चला रहे थे।

‘द स्टेट्समैन’ ने अपने 2 फरवरी 1998 के सम्पादकीय में इस स्थिति का उपयुक्त वर्णन किया है; उसने कहा है—

“सुशासन को धोखा बनाकर, कानून के शासन की धज्जियां उड़ा कर, गंभीर अपराधों में संलिप्त लोगों को संरक्षण प्रदान करके और सत्ता का गम्भीर दुरुपयोग करने वालों को सुरक्षा देकर यह सरकार आत्मघाती मार्ग पर चलने लगी है जहां ईसाइयों के विरुद्ध अत्याचार हो रहे हैं, पूजा स्थलों को जलाया जा रहा है, ननों के साथ बलात्कार होता है, बाइबल का अपमान किया जाता है और अत्यंत सम्मानित धर्म प्रचारक तथा उसके दो नन्हें मुन्नों को जीवित जला दिया जाता है। दूसरों को क्षति पहुंचाने वाली इन कार्रवाइयों का नियंत्रण किस के हाथ में था, उनकी अन्तात्मा पर उसका क्या प्रभाव हुआ। प्रधानमंत्री चाहते थे कि धर्मांतरण के प्रश्न पर बहस कराई जाए, इन अमानुषिक कार्रवाइयों का शायद उनके पास यही समाधान था। एल के आडवाणी ने कहा कि इन घटनाओं की जांच नहीं होगी क्योंकि वह बजरंग दल को जानते हैं और वह कह सकते हैं कि “उसमें कोई अपराधी तत्व नहीं है।”

तत्पश्चात् सरकार ने न्यायमूर्ति वधवा के नेतृत्व में एक जांच आयोग गठित किया। यह कदम दोषमुक्त होने के लिये उठाया गया था। जांच, जो एक धोखा था, के पश्चात् रिपोर्ट दी गई; रिपोर्ट वैसी ही थी जैसी कि उससे अपेक्षा की जा सकती थी। उसने न्यूनाधिक वही विचार व्यक्त किये जो एल के आडवाणी ने व्यक्त किये थे।

फासीवादी बहुसंख्यवादी साम्प्रदायिकता के इन सभी प्रकटीकरणों को आगामी चुनाव में जबरदस्त पराजय दी जानी चाहिये।

16. भ्रामक मुखौटा

इन चुनावों में भाजपा ने एक “राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एन डी ए)” बनाया है और शपथपूर्वक कहा है कि इस गठबंधन का एक सांझा घोषणा पत्र होगा। यह घोषणा व्यापक रूप से सुशासन के लिये राष्ट्रीय कार्यसूची के दृष्टिकोण के अनुसार होगा। पिछले चुनावों के विपरीत भाजपा अपने अलग घोषणा पत्र के साथ चुनावी समय में नहीं उतरी। किन्तु यह एक अलग मामला है कि एन डी ए के अन्य सहयोगी दल अपने-अपने दलों के अलग घोषणापत्र जारी करने के लिए विवश होंगे। इस प्रकार भाजपा एक भ्रामक मुखौटा पहनने का प्रयास कर रही है और यह दर्शाने का प्रयत्न किया जा रहा है कि अयोध्या, धारा 370, सामान्य नागरिक संहिता जैसे सभी विवादास्पद विषयों को स्थायी रूप से तिलांजलि दे दी गई है। एन डी ए तथा प्रधानमंत्री पद के लिये उसके प्रत्याशी वाजपेयी दोनों ही भाजपा का मुखौटा है।

क्या भाजपा इस ढंग से लोगों को धोखा देने में सफल होगी? क्या लोग भूल जाएंगे कि मार्च 1998 जब वाजपेयी सत्तासीन हुए थे, के पश्चात् देश में कैसी घटनाएं घटी थीं।

भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की बैठक 11 तथा 12 अप्रैल 1998 को हुई। यह बैठक भाजपा सरकार का गठन होने के पश्चात् हुई थी। बैठक में भाषण देते हुए एल के आडवाणी ने वकालत की कि भाजपा को उन विषयों जो बीत चुके कल के थे, से संचालित नहीं होना चाहिये अपितु उसे भविष्य की कार्यसूची से निदेशित होना चाहिए। उन्होंने “राष्ट्र मंदिर” के निर्माण की बात कही थी। किन्तु उसके साथ यह भी जोड़ दिया था कि “वास्तव में जब हम अयोध्या में एक मंदिर के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हैं, तो हमारा यही तात्पर्य होता है।” उनका अगला सुझाव यह था कि “अयोध्या के विवाद को न्यायिक तथा विधायिका दोनों ही क्षेत्रों में सुलझाने का प्रयास किया जाना चाहिये।”

कुछ लोगों का विश्वास है कि भाजपा सत्ता में आने के पश्चात् “उत्तरदायी” बन गई है और इसलिये इन विषयों को अब छोड़ देना चाहिये। कम से कम यह बात तो नहीं। यहां इस समाचार पत्रों में प्रकाशित दो समाचारों का उल्लेख कर रहे हैं।

“विश्व हिंदु परिषद की धर्म संसद ने आज भाजपा से कहा कि वह अपनी “हिन्दुत्व” की कार्यसूची पर लौट आए...”

“धर्म संसद में पारित प्रस्ताव में कहा गया है कि इस देश में तथा कुछेक राज्यों ने लोगों ने अपने मत देकर भाजपा को सत्ता पर आसीन केवल इसी लिये किया है कि वह वी एच पी की “हिंदुत्व कार्यसूची” को कार्यान्वित कर सके किन्तु दिल्ली में गठबंधन के सहयोगी दलों में उत्पन्न विवादों के चलते वाजपेयी प्रशासन इसे कार्यान्वित करने में असमर्थ है।

(द हिंदु, 7 फरवरी 1999)

“विश्व हिंदु परिषद ने खुले रूप में भाजपा को “हिंदु वोट बैंक” बनाने के लिये समर्थन दिया है ताकि आगामी संसदीय चुनावों में यह दल “अपने पांवों पर खड़ा” हो सके...

“उन्होंने (वी एच पी के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष आचार्य गिरिराज किशोर) ने कहा कि वी

एच पी की अपने लिये कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, वह तो केवल यही चाहती है कि राजशक्ति (सरकार) “धर्म शक्ति” की परिधि में रहकर काम करे। उन्होंने इस बात से इन्कार किया कि भाजपा वी एच पी का राजनीतिक शाखा थी, किन्तु इस बात पर सहमति व्यक्त की कि “विचारधारा” की दृष्टि से वह “वी एच पी के सर्वाधिक समीप राजनीतिक दल है।”

(द हिंदु, 8 फरवरी 1999)

यह तथ्य पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है कि सरकार में रहते हुए भाजपा केवल संघ परिवार का अधीनस्थ अंग ही होगी। यह भी कहा गया है कि वाजपेयी प्रशासन के एक बार इन पंजों (पड़िये सहयोगी दल) से बाहर निकल जाने के पश्चात् वह अपने पांवों पर खड़ी हो जाएगी और तब वह “हिंदुत्व” की कार्यसूची को लागू करेगी।

अब भी भाजपा के कुछ सहयोगी दल कह सकते हैं कि वाजपेयी ने संघ परिवार के साथ अपनी दूरी बना ली है और वह कहते हैं कि उन्हें वी एच पी के उग्र भाषणों से क्यों जोड़ा जा रहा है? यही बात वाजपेयी सरकार के पराजित होने से पूर्व भी कही गई थी।

वाजपेयी की अंतरात्मा में झांकने वाले इन महानुभावों से हम विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहेंगे कि वे हिंदुस्तान टाइम्स के लखनऊ स्थित संवाददाता विजय शर्मा की रिपोर्ट का अवलोकन करें-

“भाजपा ने एक बार पुनः अयोध्या के संवेदनशील विवाद को उठाने की तैयारी कर ली है... सोमवार को यहां द हिन्दुस्तान टाइम्स (4 जून 1999) के साथ बातचीत करते हुए मुख्य मंत्री कल्याण सिंह ने जोरदार प्रतिवाद किया कि यह विषय भाजपा की कार्यसूची में से हटा लिया गया है। उन्होंने कहा कि पार्टी इसके लिये पूर्णतया प्रतिबद्ध है।

“तथापि उन्होंने स्पष्ट किया कि “राजनीतिक बाध्यताओं” तथा “गठबंधन की राजनीति” के कारण इस विषय को “कुछ समय के लिए” ठण्डे बस्ते में डाल दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा, “मैं लोगों से अनुरोध करूंगा कि वे एक स्थायी सरकार, तीव्र विकास, सामाजिक सद्भावना तथा मंदिर का निर्माण सम्भव हो सके, के लिये भाजपा को वोट दें। इन सब के लिये भाजपा को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त करना होगा।”

(द हिंदुस्तान टाइम्स, 16 जून 1999)

यह वही बात है जो कल्याण सिंह, भाजपा के एक मुख्यमंत्री...वी एच पी अथवा आर एस एस के प्रवक्ता ने नहीं- और वह भी लोकसभा को भंग किये जाने के पश्चात् और चुनाव अभियान के एक भाग के रूप में, ने कही है।

हमें लोगों को स्मरण कराना होगा कि स्वयं श्री वाजपेयी ने भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति में भाषण वाले समय क्या कहा था:

“वाजपेयी ने घोषणा की कि “सरकार पार्टी को नहीं चलाएगी अपितु पार्टी सरकार को

चलाएगी।” प्रधानमंत्री ने इसके साथ ही यह भी जोड़ा कि अच्छे कदम के रूप में गठबंधन का शासन अस्थायी हो सकता है और भाजपा को एक दलीय शासन के लिये परिश्रम करना चाहिए।”
(*इंडियन एक्सप्रेस* का सम्पादकीय, 13 अप्रैल 1998)

इसी संदर्भ में मुरली मनोहर जोशी (भाजपा की त्रिमूर्ति के एक नेता और मानव संसाधन विकास मंत्री) द्वारा शिक्षा प्रणाली का भगवाकरण करने के लिए अक्टूबर 1998 में आयोजित शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में जो प्रयास किये थे। उनका स्मरण भी लोगों को होगा।

मानव संसाधन मंत्रालय ने कार्यसूची पत्रों के एक भाग के रूप में शिक्षा प्रणाली का “भारतीयकरण, राष्ट्रीयकरण तथा आध्यात्मिक करण करने के लिये दी गई संस्तुतियों के पत्र भी बैठक में वितरित किये थे। उन्होंने संस्कृत को कक्षा 3 से 10 तक अनिवार्य भाषा बनाने, स्कूलों तथा विश्वविद्यालयों में सभी स्तरों पर “नैतिक तथा आध्यात्मिक शिक्षा” का अनिवार्य रूप से शुरू करने, सभी स्तरों के पाठ्यक्रमों में वेदों तथा उपनिषदों को उपयुक्त स्थान देने और सबसे अधिक महत्वपूर्ण संविधान की इस धारा 30 को समाप्त करना जो अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान बनाने तथा चलाने का अधिकार प्रदान करती है, के लिये अपनी संस्तुतियां (सिफारिशें) दी थीं।

एक बार पुनः “द हिन्दू” ने अपने संपादकीय में चेतावनी दी थी, “प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का आश्वासन जब वह सम्मेलन का उद्घाटन कर रहे थे, कि “धार्मिक कट्टरता तथा असहिष्णुता के लिये शिक्षा के मूल्यों का प्रसार करने के काम में कोई स्थान नहीं है। शिक्षा प्रणाली में अपनी संकीर्ण कार्यसूची को लागू करने सम्बन्धी भाजपा के पिछले रिकार्ड के दृष्टिगत इसे गंभीरता के साथ नहीं लिया जा सकता” (इस बात पर बल देकर)। संपादकीय ने अपनी बात जारी रखते हुए वे उद्धरण दिये हैं जहां भाजपा द्वारा अपनी हिंदुत्व कार्यसूची को लागू करने के उद्देश्य से राज्य तंत्र पर अपने नियंत्रण विशेष रूप से मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में, का दुरुपयोग किया गया था।

लोगों को अनुभव करना चाहिये कि भाजपा तथा वाजपेयी ने जो उदारस्वरूप अपनाया है, वह मात्र एक भ्रामक मुखौटा है। उन्हें धोखे के इस खेल के माध्यम से देखा जाना चाहिए और इस मुखौटे तथा उसके पीछे छुपाए गए उनके घोर साम्प्रदायिक चेहरे को रद्द कर देना चाहिए।

17. पोखरण के विस्फोट

प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 11 मई, 1998 की सान्ध्य बेला में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में घोषणा की कि भारत ने पोखरण में तीन सफल नाभिकीय विस्फोट किये हैं। इसके पश्चात् 13 मई को दो और विस्फोट किये गये।

नाभिकीय अनिष्ट करने की कार्यसूची किसकी थी? सुशासन के लिए राष्ट्रीय कार्यसूची में कहा गया था कि “हम राष्ट्र के समक्ष मुंह बाएं खड़ी सैनिक, आर्थिक तथा राजनीतिक धमकियों का विश्लेषण करने और इन प्रश्नों पर सरकार को निरंतर परामर्श देने के लिये राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद

का गठन करेंगे। यह परिषद भारत की प्रथम सामरिक प्रतिरक्षा समीक्षा करेगी... हम परमाणु नीति का पुनर्मूल्यांकन करेंगे और नाभिकीय शस्त्र प्राप्त करने के विकल्प का उपयोग करेंगे।”

किन्तु 1998 के चुनावों के समय जारी किये गये भाजपा के घोषणापत्र में स्पष्ट शब्दों में प्रण किया गया था कि “नाभिकीय शस्त्रों को प्राप्त करने अथवा जुटाने के विकल्प पर काम किया जायेगा।” परमाणु बम बनाना शायद देश के एक राजनीतिक दल अर्थात् भाजपा की कार्यसूची में उस समय से ही सम्मिलित रहा है जब वह जनसंघ था। यही नहीं, यह कार्यसूची राष्ट्रीय एवम सेवक संघ की है जो उसने अपनी राजनीतिक शाखा को थमा दी थी।

अतः स्पष्ट है कि पोखरन में भाजपा की गुप्त कार्यसूची का विस्फोट ही हुआ था।

पोखरन विस्फोटों फलस्वरूप भारत द्वारा अपनाई गई सिद्धांतनिष्ठ नाभिकीय नीति से अचानक सम्बन्ध विच्छेद हो गया है। भारत की नाभिकीय नीति की जड़ें शांति एवं निशस्त्रीकरण के लिये उसके पक्षपोषण तथा शस्त्रों की दौड़ के लिये उसके विरोध के धरातल में दृढ़तापूर्वक जमी हुई थी। वह सार्वभौमिक नाभिकीय निशस्त्रीकरण के परिप्रेक्ष्य में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग गैर सैनिक तथा शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए एक बहुपक्षीय ऊर्जा कार्यक्रम बनाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था। भारत ने उस समय तक अपने नाभिकीय विकल्प को छोड़ने जिसमें शस्त्रीकरण भी सम्मिलित है, से दृढ़तापूर्वक इन्कार कर दिया था। जब तक नाभिकीय शस्त्रों वाले अन्य सभी देश ऐसा नहीं करते।

भारत ने अपने इस विकल्प को खुला रखते हुए जबरदस्त आत्म संयम बनाए रखा था और जब तक भाजपा सरकार ने इसे भंग नहीं किया तब तक उसने अपने इस विकल्प का उपयोग नहीं किया था।

इस नीति पर न केवल राष्ट्रीय सहमति पाई गई थी अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी प्रशंसा हुई थी। इसके अतिरिक्त इस नीति ने अपनी युद्धक भंगिमाओं के होने पर भी पाकिस्तान के मामले में भी संयमकारी कारक के रूप में काम किया था।

इन सब को एक झटके से समाप्त कर दिया गया। इसके अतिरिक्त विस्फोट होने के पश्चात् भी सत्ताधारी जुंडली द्वारा अनुत्तरदायी वक्तव्य दिये जाते रहे हैं। इन सब के चलते और अधिक क्षति हुई है।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ परिवार के परखे नेता एल के आडवाणी ने तो विस्फोटों के पश्चात् पाकिस्तान के विरुद्ध अपने वाणों (वाणी के) की वर्षा ही कर दी थी।

उन्होंने मुंहतोड़ उत्तर देने की बातें की। उन्होंने कश्मीर के विवाद को नाभिकीय विस्फोटों के साथ जोड़ा और कहा “नाभिकीय शस्त्रों वाला राज्य बनने के लिये भारत द्वारा उठाए गए निर्णायक कदमों के फलस्वरूप भारत पाकिस्तान सम्बन्धों एक नया गुणात्मक परिवर्तन आया है विशेष रूप से कश्मीर समस्या का स्थायी समाधान ढूंढने के मामले में। इस्लामाबाद को क्षेत्र में तथा विश्व में भूगोलिक-सामरिक स्थिति में परिवर्तन की अनुभूति करनी होगी। उन्होंने आगे कहा, “भारत ने पाकिस्तान की शत्रुतापूर्ण गतिविधियों के साथ दृढ़तापूर्वक निपटने का निर्णय ले लिया है। हमें अपनी शक्ति की अनदेखी नहीं करनी चाहिए और न ही अंतर्राष्ट्रीय अस्वीकृति के भय

से हम अपनी सुरक्षा की उपेक्षा कर सकते हैं।”

“हिंदुत्व” की युद्धक कार्रवाई का प्रत्युत्तर “इस्लामिक” पाकिस्तान ने भी उसी शैली में दिया।

राष्ट्रीय कार्यसूची पड़ोसी देशों के साथ सम्बन्धों के संदर्भ में पारस्परिक आधार की बात करती है, क्या यह सत्य है?” पड़ोसी पाकिस्तान ने 28 मई को पांच नाभिकीय विस्फोट करके वैसा ही उत्तर दे दिया तथा 30 मई 1998 को चगाई पहाड़ियों में विस्फोट करके उसमें एक और नाभिकीय शस्त्र जोड़ दिया।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने एल के आडवाणी की शैली में ही उत्तर दिया। उन्होंने घोषणा कर दी कि पाकिस्तान ने भारत के साथ हिसाब पूरा कर लिया है। उन्होंने गर्व के साथ कहा कि वह एक कायर राष्ट्र के नेता नहीं है।

पोखरण के परीक्षणों से दक्षिणी एशिया में नाभिकीय शस्त्रों की दौड़ शुरू हो गई। भारत तथा पाकिस्तान दोनों ही एक दूसरे से श्रेष्ठ नाभिकीय क्षमता प्राप्त कर लेने का दावा करने लगे।

हाल ही का कारगिल युद्ध तथा उसके पश्चात् घटने वाली घटनाएं दर्शाती हैं कि ‘बम’ ने हमें इस विनाश से नहीं बनाया है।

भाजपा सरकार ने नाभिकीय बम रूपी शेर के कंधों पर सवार होने का विकल्प चुना है और हमें इसका मोल भी चुकाना पड़ेगा क्योंकि इसके फलस्वरूप देश के रक्षा व्यय में जबरदस्त वृद्धि हो जाएगी। यदि आगामी चुनाव समय में पोखरण के बाद की उद्धत राष्ट्रवादी गतिविधियों का समुचित प्रत्युत्तर नहीं दिया तो हमारी जनता को आने वाले समय में इसका भारी मोल चुकाना पड़ जाएगा।

18. कारगिल का पता

भाजपा तथा उसके संहयोगी दलों को अनुभव हो गया था कि न सहानुभूति और न ही तीन ‘बी’ (बम-बस-बजट) के सहारे वे इन चुनावों में सफल हो सकते हैं। इसलिये उन्होंने अब कारगिल को अपने एक मात्र चुनावी मुद्दे को रूप में ले लिया है। वे वाजपेयी को एक नायक के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। किन्तु उन्हें स्वयं ही अपने ऊपर विश्वास नहीं है।

द हिंदू ने 27 जुलाई 1999 के अपने अंक में कारगिल विवाद की समीक्षा के लिये नव गठित सुब्रह्मण्यम समिति का भाजपा द्वारा किये गए स्वागत का समाचार इस प्रकार दिया है:

“संक्षेप में, ऐसा प्रतीत होता है कि भारत में 2000 से 3000 तक पाकिस्तानी सैनिकों के घुसपैठ करने और हमारी सीमाओं में लगभग 1500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर अधिकार जमा लेने की घटना के लिए भाजपा किसी को भी उत्तरदायी करार नहीं देता चाहती। इसका पता चलने से पूर्व ही यह सब हो चुका था।” (बल देकर)

यही विफलता कारगिल विवाद का मर्म है जिसके दुष्परिणामस्वरूप हमारी सशस्त्र सेनाओं के चार सौ से अधिक अधिकारियों तथा जवानों को अपने जीवन का बलिदान देना पड़ा।

हमारी सशस्त्र सेनाओं के जवानों ने अत्यंत विषम एवं कठिन भूगोलिक स्थितियों में देश

की रक्षा के लिये युद्ध में जिस शौर्य एवं वीरता का प्रदर्शन किया है, शत्रु के सभी आक्रमणों का मुहंतोड़ उत्तर दिया है और इसके लिये अपने जीवन का महान बलिदान दिया है, उस पर सम्पूर्ण राष्ट्र को गर्व है। सम्पूर्ण राष्ट्र भारत-पाकिस्तान सीमा पर नियंत्रण रेखा में परिवर्तन लाने के लिये पाकिस्तान द्वारा किये गए कुत्सित प्रयासों की एकमत होकर निंदा करता है। पाकिस्तान द्वारा यह कार्रवाई अपने नियमित सशस्त्र सैनिकों की सहायता से घुसपैठियों को भारतीय सीमा के भीतर भेज कर की थी।

किन्तु राष्ट्र भाजपा गठबंधन द्वारा प्रदर्शित असहनशीलता के लिये उसे कदापि क्षमा नहीं करेगा और इस पूरे घटनाक्रम में सरकार की भूमिका की समुचित आलोचना करता है। इस प्रक्रिया में उन्होंने अपने प्रत्येक आलोचकों को राष्ट्र विरोधी करार देने में कोई कोर कसर शेष नहीं छोड़ी।

उस समय भी जब कारगिल में सैनिक कार्रवाई पराकाष्ठा पर थी “द हिन्दुस्तान टाइम्स” ने अपने 3 जून 1999 के अंक में ‘इन डिफेंसिबल’ शीर्षक के अन्तर्गत सम्पादकीय का प्रकाशन किया। उसमें कहा गया -

“श्री जार्ज फर्नांडिस के वक्तव्यों पर रोक लगाना एक अत्यावश्यक राष्ट्रीय आवश्यकता बन गई है। नवाज शरीफ सरकार तथा उसके हत्यारे संगठन आइ एस आइ को अकारण क्लीन चिट देकर संतुष्ट नहीं हुए प्रतिरक्षा मंत्री ने पाकिस्तानी उग्रवादियों जो नियंत्रण रेखा के भारतीय सीमा की ओर प्रविष्ट हो गए थे, को वापसी के लिये सुरक्षित मार्ग उपलब्ध कराने की पेशकश कर दी। क्या भारतीय सरकार यही चाहती है- प्रधानमंत्री कहते हैं, यह बात नहीं- तब कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में से पाकिस्तानी तत्वों को निकाल बाहर करने के लिये हवाई हमले करने की क्या आवश्यकता है जबकि इसका बहुत अधिक वित्तीय मोल हमें चुकाना पड़ रहा है और साथ ही हम बहुमूल्य युवा जीवन को खो रहे हैं?

विपथगमन एक बहुत नर्म शब्द है जो इसके लिये उपयोग में लाया जा सकता है। वाजपेयी सरकार के प्रवक्ता सैनिक कार्रवाइयों के सम्बन्ध में जो भी वक्तव्य दे रहे हैं उन्हें कुल मिलाकर सेना की कार्रवाइयां भी उनके शब्दों के अनुरूप हो रही हैं। सेना के वरिष्ठ अधिकारियों को भाजपा की बैठक में जाकर उनके कार्यकर्ताओं के समक्ष सीमा की स्थिति का वर्णन करने के लिये रक्षा मंत्री द्वारा अनुमति देने से प्रतिरक्षा प्रतिष्ठान आलोचना के घेरे में आ गए हैं। सांसदों तथा सभी राजनीतिक दलों के सामने स्थिति स्पष्ट करना तो समझ में आता है किन्तु इसके लिये एक ही दल की उपस्थिति का चयन करने से एक ऐसी उदाहरण बन गई है जो भावी सरकारों तथा नागरिक-सेना सम्बन्धी दोनों के लिये खतरनाक सिद्ध हो सकती है।

“यह जैसी स्थिति में जहां दोनों पक्षों के लोग हताहत हो रहे हों, सरकार तथा राजनीतिक नेतृत्व इस प्रकार की अराजक राजनीति का आनंद नहीं ले सकते। पूरे राष्ट्र को एक स्वर में बोलना होगा और यह स्वर केवल एक जार्ज फर्नांडिस का ही नहीं हो सकता।”

किन्तु इन चिन्ताओं को दूर करने की अपेक्षा भाजपा ने 23 जून 1999 को कश्मीर दिवस मनाना श्रेयस्कर समझा। उस दिन भाषण करते हुए प्रधानमंत्री ने कारगिल समस्या का राजनीतिकरण नहीं करने का अनुरोध किया। संक्षेप में यह वही काम है जो भाजपा ने किया था।

पूरे पूष्ठ के विज्ञापन में “उन वीरों को श्रद्धांजलि भेंट की गई जिन्होंने हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिये सबसे बड़ा बलिदान दिया है।” भाजपा ने दावा किया है कि कश्मीर के लिये सबसे पहले अपने प्राणों की आहुति देने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे जिनका देहांत 23 जून 1953 को हुआ था।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी भाजपा के पहले स्वरूप भारतीय जन संघ के संस्थापक नेता थे। एक रानीतिक कार्यकर्ता तथा टिप्पणीकार लाजपत राय भाजपा के दावे पर अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हुए कहते हैं:

“यह लड़ी गलत ढंग से जोड़ दी गई है क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कश्मीर के 1947 में भारत में विलीन होने के बहुत समय पश्चात् देहांत हुआ था।

“भाजपा का विज्ञापन अधिक अविश्वसनीय प्रतीत होता है; वह भी उस समय जब हमारे जवान पाकिस्तानी घुसपैठियों को बाहर धकेलने के प्रयास करते समय कारगिल में अपने प्राणों की आहुति दे रहे हों। कश्मीरी जनता के देश भक्तिपूर्ण सहयोग के बिना यह काम सम्भव नहीं होता। मुखर्जी जैसे व्यक्ति राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के स्वयं सेवकों को तो प्रेरित कर सकते हैं किन्तु हिन्दुस्तान मार्के के राष्ट्रवाद तथा देशभक्ति का भारतीय राष्ट्रवाद से कुछ भी लेना देना नहीं है।”

(मिड-डे 30 जून, 1999)

विपथगमन, उसके साथ झूठे दावे, भाजपा नेताओं तथा उनके भगवा ब्रिगेड के कथन इस पागलपन के दृष्टांत हैं। हमने इनमें से कुछेक का उल्लेख यहां किया है और लोग इस पर कैसे निष्कर्ष निकलाते हैं, यह बात उन्हीं पर छोड़ देना अच्छा रहेगा।

“स्वामी चिन्मयानन्द सरस्वती (वी एच पी वाले) ने कहा, “वर्तमान स्थिति में प्रधानमंत्री ने विश्व को बता है कि यदि हम पाकिस्तान में बस ले जाकर मैत्री का प्रदर्शन कर सकते हैं तो हम यह भी जानते हैं कि सीमा के उस पार टैंक कैसे ले जाए जाते हैं। उन्होंने आक्रामक शैली में कहा कि पाकिस्तान को भूमण्डल से मिटा देने के लिए 1999 एक अच्छा वर्ष रहा है।

(द एशियन एज 27 जून, 1999)

“भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुशाभाऊ ठाकरे ने आज (3 जुलाई) कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार पाकिस्तान के नियंत्रण वाले कश्मीर (पी ओ के) पर पुनः दावा जताने के लिए प्रत्येक प्रयास करेगी...तथापि यह कैसे और कब होगा इसका निर्णय लेना सरकार तथा रक्षा मामलों के विशेषज्ञों का काम है।

(द हिन्दुस्तान टाइम्स, 4 जुलाई 1999)

“और जब आर एस एस ने एक पखवाड़े के पश्चात् कारगिल पर अपने मौन को तोड़ना उचित समझा और मौन तोड़ते ही वह आक्रामक शैली में बात करने लगा तब उसके मुख पत्र

“पांचजन्य ने अपने नवीनतम अंक में बल देकर कहा है कि पाकिस्तान को पाठ पढ़ाने के लिये वाजपेयी सरकार नीभिक्तीय बम का उपयोग करने से भी संकोच नहीं करे। मुख पत्र ने अपनी बात जारी रखते हुए वाजपेयी से कहा – “आखिर, हमने बम किस लिये बनाया है? केवल उसका सफल परीक्षण करने के लिये?”

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सलाहकार बोर्ड के सदस्य भारत कानार्ड राष्ट्र को बता रहे हैं कि “पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा का अतिक्रमण करके गलत काम नहीं किया है, यह रेखा लचीली है और इसका पुनर्निर्धारण होना अभी शेष है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री सरताज अजीज भी तो ठीक यही बात कह रहे हैं...”

(संडे दी पायनियर में हरिशंकर व्यास)

भाजपा ने वीरवार (1 जुलाई) को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को चुनौती दी... “हम उन्हें कारगिल पर सार्वजनिक बहस के लिये आमंत्रित करते हैं। वह भाजपा के एक नेता के साथ इस विषय पर वाद-विवाद करने के लिए किसी भी मंच तथा स्थान का निर्धारण कर सकती हैं...” भाजपा के महासचिव नरेन्द्र मोदी ने यहां (नयी दिल्ली) पत्रकारों को बताया।”

(द एशियन एज, 25 जुलाई, 1999)

किन्तु भाजपा तथा उसके सहयोगी दलों ने तो राष्ट्रपति के परामर्श को भी अनसुना कर दिया है। राष्ट्रपति ने उन्हें कारगिल मुद्दे पर विचार करने के लिए राज्य सभा का सत्र बुलाने के लिए कहा था और वह भी उस समय जब सैनिक टकराव लगभग समाप्त होने वाला था।

अतः भाजपा सशस्त्र सेनाओं की उपलब्धियों का प्रस्तुतिकरण कुछ इस ढंग से कर रही है। मानों ये उपलब्धियां उसकी सरकार तथा प्रधानमंत्री की हों। वह वोट जुटाने के एक यंत्र के रूप में कारगिल का पता खेल रही हैं; इस खेल को बंद किया जाना चाहिए। जब सरकार की अयोग्यता के कारण देश का 1500 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र घुसपैठियों के नियंत्रण में चला गया हो और अनेक सप्ताह व्यतीत हो जाने पर भी इसका पता ही नहीं चला हो तो क्या उस स्थिति में कारगिल में सेना की कार्रवाई को “ऑपरेशन विजय” कहना हास्यास्पद नहीं है?

कारगिल पर भारत के रुख के लिये अन्तर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त करने में सफल होने पर भाजपा मारे प्रसन्नता के ढोल बजा रहे हैं, किन्तु इसके साथ ही वे अपनी अबुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए अमरीकी हथकंडों का शिकार हो रहे हैं, जो उसकी आड़ लेकर कश्मीर में सक्रिय तथा हस्तक्षेपकारी भूमिका निभा रहा है। यह एक बार पुनः आने वाले समय में गंभीर चिन्ता का विषय बन गया है।

कारगिल जहां एक ओर शानदार गौरवपूर्ण अध्याय है जिसे हमारे सशस्त्र सेनाओं ने अलिदानियों के रक्त से लिखा है वहीं दूसरी ओर वह सीमा प्रश्न के साथ निपटने के मामले में भाजपा की अक्षमताओं, अयोग्यता और अनुत्तरदायी आचरण की अनेक कहानियां भी कहता है। हमें भाजपा गठबंधन को बाहर निकाल देना होगा जो राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील विषय पर

खतरनाक खेलें खेल रही है ताकि हमारी मातृ भूमि जिसकी हमारे सेना नायकों ने रण क्षेत्र में निष्ठापूर्वक शत्रु पक्ष से सुरक्षा की थी, की सुरक्षा को सुनिश्चित बनाया जा सके।

19. योग्य प्रधानमंत्री तथा सच्चा नेता

भाजपा गठबंधन के पास लोगों में जाने के लिए कोई मुद्दा तथा नीतियां ही नहीं हैं। इसलिए वह केवल एक व्यक्ति वाजपेयी का एक योग्य प्रधानमंत्री तथा सच्चे नेता के रूप में प्रस्तुतिकरण कर रहा है।”

किन्तु प्रधानमंत्री पद के इस प्रत्याशी की योग्यताओं के सम्बन्ध में कुछ न कहना ही ठीक रहेगा।

पदारूढ़ होने के दिन से लेकर आज तक वाजपेयी अपनी मंत्रिपरिषद के गठन को ही सम्पूर्ण नहीं कर सके “एक आता है तो दूसरा चला जाता है,” उनके मंत्रिमंडल की यही स्थिति है।

उन्होंने बारहवीं लोकसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव कराने में लगभग एक वर्ष का समय ले लिया। इसके लिये गठबंधन जिसका नेतृत्व वाजपेयी ने किया, सकन तथा महत्वाकांक्षाओं को ही उत्तरदायी करार दिया जा सकता है।

एडमिरल विष्णु भागवत कांड प्रधानमंत्री कुशासन चलाने की योग्यताओं पर एक धब्बा है। बर्खास्त एडमिरल द्वारा किये गए रहस्योद्घाटनों का अभी वाजपेयी सरकार ने तार्किक स्पष्टीकरण देना है। संसद के पिछले सत्र से पूर्व वाजपेयी ने प्रतिपक्ष के साथ तर्क किया था कि वीह इस प्रश्न को विवाद का विषय न बनाए क्योंकि इसमें रक्षा सम्बन्धी संवेदनशील मामले सम्मिलित हैं। किन्तु उनके प्रतिरक्षा मंत्री अर्थात् अनुत्तरदायी जार्ज फर्नांडिस ने अपने गलत रुख को न्यायोचित करार देने के लिए प्रचार माध्यमों को सघन उपयोग किया और उन्होंने बार-बार एडमिरल का नाम लिया। वाजपेयी मूक दर्शक बने रहे।

मोहन गुरुस्वामी एक और ऐसा नाम है जिसने इस प्रधानमंत्री के योग्य शासक होने के मिथक की धजियां उड़ा दी थीं। वह वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा का सलाहकार था। उसे बर्खास्त कर दिया गया। बर्खास्त सलाहकार तथा उनके परामर्शों से लाभान्वित होने वाले मंत्री द्वारा एक दूसरे पर दोष लगाए गए। इस प्रकार एक अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्रालय का प्रशासन उपहास का विषय बन कर रह गया। वाजपेयी ने अभी भी इस सलाहकार द्वारा विस्तार में लगाए गए आरोपों का संतोषजनक उत्तर देना है।

दूरसंचार गड़बड़ी-घोटाला कहना अधिक उपर्युक्त होगा— जिसकी चिंगारियां राष्ट्रपति, चुनाव आयोग तथा दिल्ली उच्च न्यायालय तक जा पहुँची थी “इस प्रधानमंत्री की टोपी पर लगा एक और दाग है।” उन्होंने बड़ी सहजता के साथ दूर संचार मंत्री जगमोहन को निकाल दिया और यह विभाग स्वयं अपने पास रख लिया है। इस प्रकार वह संसद की पीठ के पीछे दूर संचार नीति में व्यापक परिवर्तन लाने के लिये तुले हुए हैं। इस गड़बड़ी में शामिल राशि लगभग 50,000 करोड़ रुपये होगी। “यह योग्य प्रधानमंत्री इतनी अनावश्यक शीघ्रता से काम क्यों ले रहे हैं” और वह भी उस समय जब चुनाव सिर पर हों। यह एक रहस्य है। यह भाजपा सुशासन के विभिन्न मानदण्डों

को भी प्रतिबिम्बित करता है।

पहली बार भारत सरकार ने इस “योग्य प्रधानमंत्री” के अन्तर्गत ओछे हथकंडे अपनाकर अधोगति की असीम गहराईयों को छू लिया है कि स्वयं उच्चतम न्यायालय को भी गुमराह किया गया। प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुख एम के बेजबरवा के स्थानांतरण से सम्बन्धित मामले में कुछ ऐसा ही हुआ था। उच्चतम न्यायालय ने भी इस सरकार की धोखेबाजी पर टिप्पणी करते हुए कहा था :

“निर्णयादेश के प्रासंगिक शब्द (सरकार द्वारा अपने बचाव के लिये उद्धृत किया गया) उड़ा दिये गए। आप यह कैसे कर सकते हैं? यदि यह अदालत को गुमराह करने का प्रयास नहीं है तब फिर क्या है? यह पूरे का पूरा वाक्य पुनः लिया और वह भी इस सरकार द्वारा।”

इस चालबाजी के पीछे क्या रहस्य है उसके ऊपर से पर्दा अभी इस योग्य प्रधानमंत्री को हटाना है।

भारत को न केवल इस गठबंधन से अपितु इस “योग्य प्रधानमंत्री तथा एक सच्चे नेता” से मुक्ति पाने की आवश्यकता है। इन चुनावों में लोगों को निर्णयादेश ही मुक्ति को सुनिश्चित बनाएगा।

20. भाजपा गठबंधन को पराजित करो

भाजपा शासन (इन तेरह जमा पांच महीनों में) ने दर्शा दिया है कि वह श्रमिक वर्ग तथा समग्र रूप में इस देश के लोगों का सबसे बड़ा शत्रु है।

भाजपा सुशासन के फलस्वरूप

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था विनाश की सबसे भयानक खाई में गिर चुकी है:

* इसने देश में सभी बहुमूल्य सम्पत्तियों की नीलामी बहुराष्ट्रीयों, अप्रवासी भारतीयों तथा देश में बड़े कारोबारियों के लिये कर दी है;

* उसने बहुराष्ट्रीय निगमों के हित में तेज गति से स्वदेशी औद्योगिक आधार को अपने हमलों को लक्ष्य बनाया है;

* यह सरकार विदेशी वस्तुओं तथा सेवाओं को भारतीय बाजार में लाभकारी स्थिति में ले आई है जबकि स्वदेशी उत्पादों को पीछे धकेल दिया गया है;

* उसने “सम्राट से भी अधिक निष्ठा” तथा दासता का परिचय देते हुए विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आकाओं की सेवा की है;

* उसने प्रशासन, सुशासन तथा सभी क्षेत्रों में प्रत्येक संस्थान का साम्प्रदायीकरण किया है;

* उसने देश के धमनिरपेक्ष ढांचे को तोड़ कर रख दिया है;

* लोगों की एकता को भंग किया है, इस महान देश को खण्डित करने तथा अस्थिर बनाने सम्बन्धी साम्राज्यवादी चालों के लिये अनुकूल स्थितियां उत्पन्न की हैं;

* और

देश को राजनीतिक तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर किया है और इसे साम्राज्यवादी दादागिरी के लिए आज्ञाकारी बना डाला है।

श्रमजीवी जनता को अनुभ करना होगा कि भाजपा शासक श्रमिकों को दासता की दलदल में धकेलना, लोगों को एक-दूसरे के साथ लड़ाना चाहते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य अपनी जनविरोधी तथा राष्ट्रविरोधी देशद्रोही नीतियों के विरुद्ध जनता के प्रतिरोध को दुर्बल बनाना है। यदि उन्हें सत्ता में वापसी के उनके यत्नों में सफल होने दिया गया तो उसका अर्थ देश के लिए अकल्पनातीत विनाश होगा, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। उनके काले कारनामों तथा अपराधों के लिये लोगों के द्वारा उन्हें दण्ड दिया जाना चाहिए जो अपने में एक उदाहरण हो।

आगामी चुनाव लोगों के लिये स्वर्णिम अवसर उपलब्ध कराते हैं कि

- * वे साम्प्रदायिक शक्तियों को टुकरा दें तथा उन्हें जड़ से उखाड़ दें;
- * लोगों की एकता बनाए रखें;
- * अर्थव्यवस्था को उस संकट से बाहर निकालें जिसमें उसे धकेला गया है;
- * राष्ट्रीय प्रभुसत्ता की रक्षा करें;
- * अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने भारत की छवि को पहुंचाई गई क्षति की भरपाई करें और
- * वाम तथा धर्मनिरपेक्ष जनवादी शक्तियों को मजबूत बनाएं, केवल यही शक्तियों यह काम कर सकती हैं।

श्रमिक वर्ग के संमक्ष विकल्प स्पष्ट है। इस समय भाजपा गठबंधन देश के लिये सबसे गम्भीर खतरा उत्पन्न कर रहा है। उसे इन चुनावों में कड़ी पराजय देनी होगी।

श्रमिक वर्ग को इस चुनाव में वाम दलों के प्रत्याशियों को वोट देने चाहिए। केवल वही संसद के भीतर तथा बाहर जनता की सभी श्रेणियों के हितों की रक्षा कर सकते हैं।

जहां कहीं श्रमिक वर्ग को वाम पक्ष के लिये मतदान करने का अवसर नहीं मिलता है, वहां पर वे साम्प्रदायिक शक्तियों को पराजित करने के लिए सबसे अधिक प्रभावशाली धर्मनिरपेक्ष प्रत्याशियों को वोट दें।

पढ़ें तथा चन्दा दें :

सीटू मजदूर

हिन्दी मासिक पत्रिका
वार्षिक शुल्क 40 रुपये

द वर्किंग क्लास

सी आइ टी यू की मासिक पत्रिका
वार्षिक शुल्क 40 रुपये

द वायस ऑफ वर्किंग विमन

अंग्रेजी द्विमासिक
वार्षिक शुल्क 20 रुपये

वार्षिक शुल्क मनीआर्डर अथवा
“भारतीय ट्रेड यूनियन केन्द्र” के पक्ष में
तथा दिल्ली में देय बैंक ड्राफ्ट के रूप में

अधोलिखित पते पर भेजें :

भारतीय ट्रेड यूनियन केन्द्र

15, तालकटोरा रोड,

नयी दिल्ली-110001

फोन : 3714071